हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

3 दिसम्बर, 1974

खंड 4, अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1974

	पृश्ठ संख्या
ताराकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
स्थगित ताराकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)3
विशेशाधिकार भंग का प्रश्न	(5)8

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पर गृहमंत्री द्वारा वक्तव्य (5)10

कार्य–मंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (5)11

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव (5)12

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव (5)13

सदन पटल पर रखे गए कागज–पत्र (5)13

दी हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 5) बिल, 1974 (5)13

बहिर्गमन (5)19

दी हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 5) बिल, 1974 (पुनरारम्भ) (5)21

दी पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा वैलीडेशन) बिल, 1974 (5)33

नियम 104 का निलम्बन तथा श्रीमती चन्द्रावती का संदन की सेवा से निलम्बर (5)38

दी हरियाणा म्युनिसिपल कामन लैंडज (रैगुलेशन) अमैंडमैंट बिल, 1974 (5)39

दी पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज, (हरियाणा सैकैण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1974 (5)41

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चंडीगढ़ में प्रातः 9ण्30 बजे हुई। श्री अध्यक्ष (चौ. सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

Starred Question No. 972.

As the honourable Member was not present, the question was not put.

Boundary Walls of Government Schools

***1013. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether the boundary walls of all the Government schools at N.I.T. Faridabad have been constructed; and

(b) if not, the time by which the aforesaid walls are likely to be constructed?

शिक्षा एंव परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(ए) नहीं। केवल चार स्कूलों की चार दिवारियां बनी हुई हैं।

(बी) बाकी के स्कूलों की चार दिवारियों को यथा सम्भव जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाया/बनवाया जा रहा है। तथापि कोई निश्चित अवधि नहीं दी जा सकती।

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये स्कूल्ज कब से बगैर बाउंडरी वाल्ज के हैं और क्यों हैं और जब फण्डज अवेलेबल हैं तो क्या सरकार इसके लिए यह टार्गेट फिक्स करेगी कि ये चार–दिवारियां कब तक बना दी जाएगी?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, ये जो स्कूल्ज थे जो ये सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से बनवाए गए थे। सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अधीन स्कूल फरीदाबाद कम्पलैक्स में थे। उस वक्त जितने स्कूल्ज थे, उनकी चार दिवारियां बना दी गई थीं, लेकिनयह कहना कि फण्डज नहीं हैं, यह बात गलत है। जो फण्डज हमारे पास कम्पलैक्स ने दे दिए हैं उनसे चार दिवारियां बना दी जाएंगी।

Starred Question No. 998.

As the honourable Member was not present, the question was not put.

Starred Question No. 973.

As the honourable Member was not present, the question was not put.

Boundary Walls of the Sewa Sadan Building

***1014. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the boundary walls of Sewa Sadan Government Building at Faridabad has been constructed; and

(b) if not, the time by which it is likely to be constructed?

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) No.

(b) Kasturba Sewa Sadan is the property of the Government of India. Till the proprietary rights thereof are transferred to the State Government, the boundary wall cannot be built. The matter regarding the transfer of proprietary rights of the land/buildings of Kasturba Sewa Sadan, Faridabad to the State Government ha been taken up with the Government of India.

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में जो थोड़ी बहुत प्रोग्रैस में सलैक्नैस है, वह सैन्ट्रल गवर्नमैंट की वजह से है, तो क्या मिनिस्टर साहब व चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले में इन्टरवीन करके इस बारे में भारत सरकार से भवन को टेक–ओवर करने के लिए जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वहां भवन के इर्द–गिर्द बाउंड्री वाल बनाई जा सके?

Sh. Shyam Chand: Sir, we have taken up this matter with the Government of India and they have promised to expedite it.

Starred Question No. 999.

As the hon. Member was not present, the question was not put.

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: The House will now take up the Postponed Stared Questions.

Starred Question No. 987.

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of starrted question No. 987 which has been granted. Letter received from the Minister reads as follows :

ब.स.प.क्र.10956–3–आई–(1)–74

''हरपाल सिंह

मंत्री,

उद्योग विभाग हरियाणा

चंडीगढ़।

दिनांकः 2 दिसम्बर, 1974

विषयः– तारांकित विधान सभा प्रश्न 987 के उत्तर देने की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

प्रिय श्री स्वरूप सिंह जी,

कृपया स्थापित विधान सभा प्रश्न न. 987 जो अब दिनांक 3–12–1974 की सूची में श्रीमती चन्द्रावती की ओर से उद्योग मंत्री को है, की ओर ध्यान देने का कश्ट करें। इस प्रश्न में मैंने अपने एक अ.स. पत्र क्रमांक 10625 आई.बी.–1–74/40972, दिनांक 26 नवम्बर, 1974 द्वारा 10–12–1974 तक समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना की थी, जोकि 3–12–1974 तक ही बढ़ाया गया है।

2. अपेक्षित सूचना, निर्धारित समय में, एकत्रित करने के लिए पुनः पूरी कोशिश की गई है, परन्तु यह एकत्रित नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि इस प्रश्न में कृपया उत्तपर के लिए जैसा कि पहले प्रार्थना की गई है, समय 10—12—1974 तक ही बढ़ा दिया जाए। इसके पश्चात किसी भी तिथि को उत्तर के लिए निश्चित कर दिया जाए।

आपका

हस्ताक्षर,

(हरपाल सिंह)

श्री सरूप सिंह, स्पीकर,

हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़।''

Cost of Production of Wheat, Paddy, Cotton and Sugarcane

***977. Ch. Mehar Chand**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) the produciton cost of one quintal of wheat on any Government farm under direct cultivation during Rabi 1973-74 togetherwith detailed breat up of expenditure;

(b) the production cost of one quintal of paddy on any Government farm under direct cultivation during Kharif 1973 togetherwith detailed breat up of the expenditure;

(c) the production cost of one quintal of unginned 'desi' cotton and unginned American cotton, separately, on any Government farm under direct cultivation during Kharif 1973 togetherwith detailed break up of expenditure; and

(d) the produciton cost of one quintal of sugarcane on any Government farm under direct cultivation during 1973-74 togetherwith detailed breat up of expenditure?

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल): (ए,बी,सी,डी) विवरण, जिसमें उचित सूचना दी गई है, विधान सभा पटल पर रखे जाते हैं। सीधी जुताई के किसी राजकीय फार्म पर देसी कपास नहीं बोई जाती है, अतः देसी कपास सम्बन्धी सूचना नहीं दी गई है।

विवरण

भाग 'ए' सम्बन्धी सूचना।

गेहूं के एक क्विंटल का उत्पादन मूल्य राजकीय कृषि फार्म, करनाल जो कि सीधी जुताई के अधीन हे पर रबी,

1973–74 का रूपए 101.75 पैसे निकाला गया है। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

	प्रति हैक्टेर रूपए में
1 मजदूरी पर व्यय	462.25
2 बैल तथा म ाीनरी पर व्यय	175.80
3 बीज का मूल्य	281.60
4 सिंचाई तथा खाल की मुरम्मत पर व्यय	347.50
5 खाद तथा उरवर्क पर व्यय	541.25
6 भूमि कर	22.50
7 भूमि का किराया	500.00
8 म ाीनरी तथा भवनों आदि का 10 प्रति ात दर से अवबमूल्यन	108.75
9 ब्याज 9 प्रति ात दर से कुल व्यय पर छः मास के लिए	109.75
10 कुल व्यय	2549.40
11 भूसा के मूल्य की कमी	412.50
12 भाुद्ध व्यय	2136.90

13 औसत उपज (क्विटलों में)	27.50
14 प्रबन्ध पर व्यय	394.75
15 प्रति क्विंटल उत्पादन मूल्य	92.50
16 फुटकर, छटाई, (रोगिंग) धुलाई, व्यय इत्यादि	9.25
17 कुल व्यय प्रति क्विंटल	101.75

भाग 'बी' सम्बन्धी सूचना

धान के एक क्विंटल का उत्पादन मूल्य राजकीय कृशि फार्म, करनाल जो कि सीधी जुताई के अधीन है, पर खरीफ 1973–74 का रूपए 86.57 निकाला गया है। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

	प्रति हैक्टेर रूपए में
1 मजदूरी पर व्यय	1040.00
2 बैल तथा म ीनरी पर व्यय	105.00
3 बीज का मूल्य	45.00
4 सिंचाई तथा खाल की मुरम्मत पर व्यय	437.50

5 खाद तथा उरवर्क पर व्यय	657.00
6 भूमि कर	22.50
7 भूमि का किराया	500.00
8 म ीनरी तथा भवनों आदि का 10 प्रति ात दर से अवबमूल्यन	108.75
9 ब्याज 9 प्रति ात दर से कुल व्यय पर छः मास के लिए	131.18
10 कुल व्यय	3046.93
11 भूसा के मूल्य की कमी	50.00
12 भाुद्ध व्यय	2996.93
13 औसत उपज (क्विटलों में)	40.62
14 प्रबन्ध पर व्यय	197.36
15 प्रति क्विंटल उत्पादन मूल्य	78.65
16 फुटकर, छटाई, (रोगिंग) धुलाई, व्यय इत्यादि	7.86
17 कुल व्यय प्रति क्विंटल	86.57

क्विंटल

औसत धानः 40.62

भाग 'सी' सम्बन्धी सूचना

अमेरिकन कपास का प्रति क्विंटल मूल्य राजकीय फार्म, सिरसा जो कि सीधी जुताई के अधीन है, खरीफ 1973 का निकाला गया है जो रूपए 309.50 प्रति क्विंटल आया है। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:—

	प्रति हैक्टेर रूपए में
1 मजदूरी पर व्यय	365.00
2 बैल तथा म ीनरी पर व्यय	212.50
3 बीज का मूल्य	30.00
4 सिंचाई तथा खाल की मुरम्मत पर व्यय	56.75
5 खाद तथा उरवर्क पर व्यय	122.25
6 कीटना ाक दवाइयों पर तथा छिड़कावे पर व्यय	290.00
7 भूमि कर	12.00
8 भूमि का किराया	875.00
9 म ीनरी तथा भवनों आदि का 10 प्रति ात दर से अवबमूल्यन	190.00

10 ब्याज 9 प्रति ात दर से कुल व्यय पर छः मास के लिए 81.75	
11 कुल व्यय	2235.75
12 भूसा के मूल्य की कमी	81.25
13 भाुद्ध व्यय	2154.50
14 औसत उपज (क्विटलों में)	7.50
15 प्रबन्ध पर व्यय	287.25
16 प्रति क्विंटल उत्पादन मूल्य	18.50
17 फुटकर, छटाई, (रोगिंग) धुलाई, व्यय इत्यादि	3.75
18 कुल व्यय प्रति क्विंटल	308.50

झाड़ : 7.50

क्विंटल प्रति हैक्टेयर

भाग 'डी' सम्बन्धी सूचना

गन्ने के एक क्विंटल का उत्पादन मूल्य राजकीय कृशि फार्म, भाामगढ़ जिला करनाल जो कि सीधी जुताई के अधीन है,

वर्श 1973–74 में रूपए 9.94 निकाला गया है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

	प्रति हैक्टेर रूपए में
1 मजदूरी पर व्यय	775.00
2 बैल तथा म ाीनरी पर व्यय	105.00
3 बीज का मूल्य	937.50
4 सिंचाई का खर्च	90.00
5 खाद	420.00
6 भूमि कर	22.60
7 भूमि का किराया	750.00
8 म ाीनरी तथा बैलों पर अवमूल्यन	324.20
9 पूंजी पर 9 प्रति ात की दर से अवमूल्यन	308.16
10 कुल व्यय	3732.36
11 पराली में कमी	
12 प्रबन्ध व्यय	740.80
13 भाुद्ध व्यय	4473.16

14	औसत उत्पादन प्रति हैक्टेयर (क्विटलों में)	450.00
15	उत्पादन का मूल्य प्रति क्विंटल	9.94

झाड़ : 4.50

क्विंटल प्रति हैक्टेयर

Mr. Speaker : Question hour is over.

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, मेरी एक सबमि ान है।

Mr. Speaker : Supplementary cannot be put when the quesiton hour is over.

श्रीमती चन्द्रवती : जनाब, सबमि ान तो किसी वक्त भी कर सकते है। इसीलिए प्वांयट आफ आर्डर भी नही उठाया।

Mr. Speaker : About the questions ?

Shrimati Chandravti : Yes, sir. जनाब, मै आपकी रूलिंग चाहती हूं कि क्या सवाल लिए ही नही गए, जैसा कि हम देखते है, हमे ा क्वै चन आवर समय से पहले ही खत्म हो जाता है या किसी मैंबर ने सवाल भेजे ही नही। जनाब मैं यह जानना चाहती हूं कि अगर सवाल भेजे है.... (विघ्न)

Mr. Speaker : Order pleas. यह आप किस से पूछना चाहती है ? कौन से मिनिस्टर से ?

श्रीमती चन्द्रवती : जनाब, मै आपसे पूछना चाहती हूं.....

..

Mr. Speaker : You can xome to my chamber and ask me about it.

श्रीमती चन्द्रवती : लेकिन जनाब, यह तो यहां पर बताना चाहये था। जो सवाल हमने पूछे वह नही आए।.....

Mr. Speaker : Question listis before the House.

श्रीमती चन्द्रवती : और कोई लिस्ट सवालों की नही आई जनाब ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीजं जो कायदे के मुताबिक आए वह एडमिट हो गए और कवै चन लिस्ट पर भी आ गए।

श्रीमती चन्द्रवती : जनाब, जो नही एडमिट हुए, उनकी इत्तलाह तो हमे मिलनी चाहिए थी।

Mr. Speaker : How can you put this question to the Chair at this stage ?

श्रीमती चन्द्रवती : तो जनाब, हम किस से पूछे ? यह बा दीजिए, हमे आप गाईड करे। हमारा कोई हक नही है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह सक्रेटिरिएट का मामला है। आप किसी वक्त भी मेरे चैम्बर में आकर, किसी भी सवाल के मुताल्लिक पूछ सकती है।

श्रीमती चन्द्रवती : कया यहां असैम्बली मे कोई बात नही पूछ सके , आपके चैंबर मे ही पूछभ सकते है जनाब ?

श्री अध्यक्ष : यहा वह पूछ सकते है जोक आर्डर पेपर्ज से संबंधित हो या कवै चन लिस्ट मे ंजो सवाल दर्ज है, उनके मुताल्लिक भी पूछ सकते है।

चौधरी राम प्र ाद : स्पीकर साहब मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। हम समझ नही सके, बहन जी कल परसों से यहां पर धांधली मचा रही हैक। आखिर ये चाहती क्या है ? अगर इन्होने ऐसी ही बातें करनी है, तो ये दूसरी तरफ जाकर बैठ जाएं।

श्रीमती चन्द्रवती : स्पीकर साहब, जो मैंबर साहिबान कह रहे है क्या यह बात कहने लायक है ?

Mr. Speaker: Order pleas. No intrruptions.

वि ोशाधिकार भंग का प्र न

Mr. Speaker : There is a privilege motion.

I have received a notice of a question of breach of privilege by Sarvshri Girish Chander Joshi and Phool Chand

(Mullana) M.L.As. against Shri Chand Ram, M.L.A. and Shri Ramesh Chander, Editor, Printer and Publisher of daily Punjab Kesri. I give my consent to it and hold that the matter proposed to be discussed is in order. I call upon Sh. Girish Chander Joshi to ask for leave to raise the question of privilege.

Sh. Girish Chander Joshi: I beg to give notice to raise the following question involving a breach of privilege of the House and the Hon. Speaker against Sh. Chand Ram, M.L.A. and Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher of the Punjab Kesri, a Hindi daily newspaper being published from Jullundur:-

"That in the issue dated 1-12-74 of the Punjab Kesari, a Hindi daily newspaper published from Jullundur by Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher, a statement of Sh. Chand Ram, M.L.A. has been published under caption.

'विपक्ष हरियाणा विधान सभा के भोश अधिवे ान का बाईकाट करेगा।

inter-alia as under:-

भारतीय लोक दल की हरियाणा भााखा के कन्वीनर चौधरी चांद राम विधायक ने बताया कि भाड़े के गुंडों तथा पुलिस द्वारा श्री जय प्रका ा पर मुफ्ती में किए गए कायरतापूर्ण आक्रमण का मामला गत दिवस संसद में उठाया गया। प्रैस रिर्पोट के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष श्री ढिल्लों ने विचार व्यक्त किया कि

चूंकि यह मामला राज्यकी कानून व्यवस्था से सम्बद्ध है, अतः इसे हरियाणा विधान सभा में उठाया जाना चाहिए था 'और' जब प्रतिपक्षी सदस्यों ने यह मामला हरियाणा विधान सभा में उठाया तो अध्यक्ष ने यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दी तथा कहा कि हम ऐसा कोई प्र न नहीं उठाने देंगे। जिसमें राज्य का स्वरूप कलंकित होता हो। जब श्री चांद राम ने विधान सभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे इसके कारण बताते हुए यह स्पश्ट करें कि किस ढंग से वह यह मामला उठाने की अनुमति दे सकते हैं तो उन्होंने सदन की कार्यवाही से ये रिमार्क्स भी निकाल दिए। उन्होंने कहा कि संसद में तो प्रतिपक्षी नेताओं द्वारा अनेक मामले उठाए जाते हैं तगि रिमार्क्स दिए जाते है, परन्तु लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निकाले नहीं जाते। यद्यपि राज्य की जनता को विधान सभा में आनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, परन्तु प्रतिपक्षी पार्टियों के लिए सदन में ऐसा करना भ कठिन हो गया है। चौधरी चांद राम ने बताया भालोदा, जनसंघ तथा संगठन कांग्रेस की चण्डीगढ़ में सरकार तथा विधान सभा अध्यक्ष के इस रवैये के विरूद्ध विधान सभा के बहिश्कार बारे विचार करने के लिए चण्डीगढ़ में बैठक हो रही है।

This statement of Sh. Chand Ram, M.L.A. as published by Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher in the Punjab Kesri contains the expunged proceedings of the House as also a distorted version of the proceedings of the House and also reflects on the conduct and

impartiality of the Hon. Speaker in discharge of his duties in the House.

By published the above statement of Sh. Chand Ram, M.L.A., Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher in the Punjab Kesri and Sh. Chand Ram, M.L.A. have committed a breach of privilege of the House and the Hon. Speaker which is a specific matter of recent occurrence and requires intervention of the Assembly.

I request that this matte may be referred to the Committee of Privileges of this House with a direction to examine all aspects of the matte and report to the House by 31st March, 1975.

A copy of the newspaper is enclosed.

I beg to move this privilege motion.

Mr. Speaker: First take the leave of the House.

Sh. Girish Chander Joshi: Sir, I beg to ask for leave to raise this question of breach of privilege.

Mr. Speaker: Is there any objection?

(No Member objected)

Mr. Speaker: As there is no objection, the leave is granted.

Now the hon. Member, Sh. Girish Chander Joshi, may please move his motion.

Sh. Girish Chander Joshi: Sir, I beg to move:-

That this question of breach of privilege be referred to the Committee of Privileges with a direction to make a report by 31st March, 1975.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That this question of breach of privilege be referred to the Committee of Privileges with a direction to make a report by 31st March, 1975.

Mr. Speaker: Question is:-

That this question of breach of privilege be referred to the Committee of Privileges with a direction to make a report by 31st March, 1975.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The question of breach of privilege is referred to the Committee of Privileges.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पर गृह मंत्री द्वारा व्क्तव्य

(श्री जय प्रका ा नारायण पर अभिकथित आक्रमण सम्बन्धी)

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): It is absolutely incorrect to say that an attempt of planned murderous assault on Sh. J.P. Narain was made at Karnal on 27-11-1974 while he was going from Delhi to Kurukshetra to address a public Rally there. It is also incorrect to say or even assume that the alleged assault was planned by the Government and that Municipal Employees were brought of employed for this

purpose by the S.D.M. Karnal, who is also Administrator of the Municipal Committee, Karnal. No H.A.P. personnel or/and employees of Karnal D.C's office were brought to the place of incident.

The facts, however, are that Sh. Jai Parkash Narain and party in four motor cars reached that junction of by-pass and G.T. Road, Karnal at about 1.30 p.m. where a crowd of about 6000/7000 students and public had assembled. In this crowd a considerable number of youth congress students shouted anti-J.P. Narain slogans and waived black flags. Seeing this the last car of the convoy in which Sh. Raj Narain, M.P., was traveling with a photographer and some otther, stopped. Sh. Raj Narain got out of the car and shouted "Ullu ke Pathe bhag jao-tum Bansi Lal ke sikhaye huay admi ho". On hearing this the youth congress crowd got worked up and one of the students struck the car with his stick on which he was carrying the black flag. This caused a little dent in the car. Some youth congress students from behind also started pelting stones, one of which hit the photographer causing a minor injury. The Additional Superintendent of Police, Karnal, who was present on the spot handled the situation tactfully by chasing away anti-J.P. demonstrators and requesting Sh. Raj Narain to kindly continue his journey.

The unfortunate incident at Karnal occured as a result of abuses hurled by Shri Raj Narin, M.P. which provoked the youth congress students. No assault what so ever was made on the car in which Shir J.P. Narain Travelled fromm Delhi to Kurukshetra. Shri J.P.Narain's car was neither stopp4ed, nor did it stop of it5s own, at the place of incident.

No arrests were made a Karnal on 26-11-1974. However,18 persons including four advocates were arrested u/s107/151 Cr.P.C. by the Karnal City Police on27-11-1974 in order to avoid imminent apprehension of breach of peace. They were released by the S.D.M. Karnal on bail the same evening.

कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

Mr.Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various businesses.

" The Committee after some discussion, recommended that the Business on the 3rd December,1974, be transacted as follows:-

3rd December , 1974(at 9.30 A.M)

1.Question Hour.

2.Second Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion under rule 15 regarding Non-stop sitting.

4. Motion Under Rule 15 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.

5.**Papers to be laid on the table.**

Co-operative Department' Notification No.G.S.R.131/ P.A.25/61/S.85Amd.(1)/74, dated the 31st October, 1974, regarding the Punjab Co-operative Societies

(Haryana 1st Amendment) Rules, 1974, as required under Section 85 of the Punjab Co-operative Societies Act,1961.

6.**Legislative Business.**

1. The haryana Appropriation (No.5) Bill,1974, on Supplementary Estimates (Second Instalment) 1974-75.

2. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill, 1974.

3. The Haryana Muncipal common Lands (Regulation) Amendment) Bill, 1974."

4. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill,1974."

Home Minister (Shri K.L.Poswal): Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is:-

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Shri K.L.Poswal): Sir, I beg to move:-

that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly.' indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved:-

that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly.' indefinitely.

Mr. Speaker: Question is:-

that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly.' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन के पटल पर रखे गए कागज पत्र

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital):- Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Co-operative Department's Notification No.G.S.R.131/P.A.25/61//S.85/Amd.(1)74, dated the 31st October, 1974, regarding the Punjab Co-operative Societies (Haryana 1st Amendment) Rules, 1974, as required under Section 85 of the Punjab Co-Operative Societies Act,1961

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1974

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.5)Bill, 1974.

I also beg to move:-

Mr. Speaker: Motion moved:-

that the Haryana Appropriation (NO.5) Bill be tak4en into consideration at once.

श्रीमति चन्द्रावती(लोहारू): जनाब, स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह जो एप्रोप्रि ान बिल हमारे सामने हैं, मैं इसके बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं। हरियाणा में इन 4–5 सालों में तरक्की हुई और इंडस्ट्रीज काफी लगी, इसमें कोई भाक की बात नहीं हैं लेकिन इंडस्ट्रीज का मतलब होता हैं कि जमीन पर जो फालतू पापुले ान हो, उसको हम काम दे सकें। उसमें हम कितने कामयब हुए हैं, यह बात देखने की हैं और मैं तो यह समझती हूं कि अगर फरीदाबाद सोनीपजत,या जगाधरी वगैरह में जितनी भी इंडस्ट्रीज काम करती हों और उनमें घोस्ट फैक्ट्रीज न हों, तो उत्तर भारत के लोगों कि जरूरियात को वे पूरा कर सकती हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो सिर्फ कोटा ले लेती हैं और घोस्ट फैक्ट्रीज हैं। मैं यह समझती हूं कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनमें कितनी घोस्ट फैक्ट्रीज हैं, जो सरकार से कोटा लेती हैंकृ

श्री अध्यक्ष: एप्रोप्रिए ान बिल से घोस्ट फैक्ट्रीज का क्या सम्बन्ध हैं ?

The Hon. Members is an old parliamentarian and has been a Minister also.

श्रीमति चन्द्रावती: तो ठीक हैं जी, मैं छोड़ देती हूं।

Mr. Speaker: It is the business of the Hon. Member to see.

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, वैसे तो इसकी साथ रैल्वैंसी हैं, अगर आप चाहत हैं, तो मैं दूसरे सब्जैक्ट पर बोल देती हूं।,

Mr. Speaker: There are only two or three Demands.

श्रीमति चन्द्रावतीः ऐप्रोप्रिए ान बिल हमारे सामने हैं, इसमें इंडस्ट्रीज का जिक्र हैं और ट्रास्पोर्ट का भी हैं.....

श्री राम सरन चन्द मित्तलः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयह आफ आर्डर हैं कि जहां तक इसमें इंन्स्ट्रीज का ताल्लुक हैं, कल सप्लीमैंट्री बजट में 120 रुपये का डिकिटल एमांउट मंजूर हुआ हैं, जिसे अब एप्रोप्रि ान में लिया गया हैं। इसके आल्वा इंडस्ट्रीज मुतल्लिक इसमें और कोई चीज नही हैं।

Mr. Speaker: It is not relevant.

श्रीमति चन्द्रावतीः तो स्पीकर साहब, आप बता दीजिए कि मैं कौन–सी चीज पर बोलूं ?

Mr.Speaker: When the Hon.Member willl speak then I will tell what is relevant and what is not ? How can I tell you before hand ?

सिंचाई और बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, इनको एक लिस्ट बना कर दे देजिए।

श्रीमति चन्द्रावतीः इन्होंनें यह बहुत अच्छा सुझाव दिया हैं।

Mr.Speaker: Please continue your speech, if you want.

श्रीमति चन्द्रावतीः तो जनाब मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि पुलिस के डिपार्टमैंट पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा हैं और जानब मैं यह भी बता दूं कि झूठे मुकद्दमें बनाए जा रहे है।

Mr.Speaker:order please.

श्रीमति चन्द्रावतीः

(ाोंर एवं विघ्न)

Mr.Speaker: You are speaking irrelevant. Police Demand is not much discussion.

श्रीमति चन्द्रावतीः*

* *

*

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः आन ए प्वांयट ऑफ आर्डर, सर/अध्यक्ष महोदय हरियाणा एप्रोप्रि ान बिल हैं और इसमें तीन मदें इंडस्ट्रीज, ट्रांस्पोर्ट और कन्टिनजैसी फंड की हैं इन तीनो मदों के बारें में, कल जब इनके लिए डिमांडज सदन के सामने आई थी, तो वजाहत के साथ सारी बातें आ गई थी कि किस–किस पर्पज के लिए यह पैसा लिया जा रहा है। अब सवाल यह हैं कि हमें ऐज ऐ पालियामैंटेरियन बोलते वक्त उसी बात तक

सीमित रहना चाहिए जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया हैं। इसके अलावा अगरस्कोप से बाहर जाकर बोलना हैं, तो अगले साल का जो बजट आ रहा हैं उस मौका पर बातें आ सकती हैं और उस पर खुले तौर पर बोल जा सकता हैं। इस वक्त तो इस बिल पर जिस मकसद के लिए यह बिल रखा गया हैं, उसी मकसद पर बोलना मुनासिब हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से अर्ज करूगां कि हाउस का वक्त जाया न हो, फजूल बातें करने के लिए और उसी मकसद के लिए यहां पर बोला जाए, जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया हैं।

Mr. Speaker: Yes, Sub- Rule (4) of Rule 203 of the Rules of public cedure and Conduct of Business in our Assembly is very clear. It laysdown:-

"The debate on an Appropriation Bill Shall be restricted to matters of public importance or administrative policy in the grants covered by the grants were under consideration."

The hon.Member while speaking should observe the Rules.

श्रीमति चन्द्रावती : जनाब अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं एक बात कहकर अपना भाशण खत्म कर देती हूं और वह एक ग्रीक थिंकर की कुटे ान हैं:

" There is one point upon which every Greek political thinker is agreed, namely that tyranny is the words of

all governments; even though it be beneficent in its aims and results, it is still bad because it destroys self Government".

एक और है:

अध्यक्ष महोदय के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

"No worse foe than despot hath a State, under whom, frist can be no common laws, but one rules, keeps in his private hands the laws".

Shri Gulab Singh Jain: On a point of Order, Sir.May I know, Speaker Sahib, form the hon. Member whether it is relevant to read to read in detail from any written note and what is relevant in the Appropriation Bill ?

Mr. Speaker: The Hon. Member knows the rule against reading .

श्रीमति चन्द्रावती : जनाब, एक और मैं कोर्ट कर देती हूं:

"we are the servants of the law in order that we may be free."

जनाब, मैं यह कहना चाहती हुं कि हमारी सरकार कोई कायदा कानून और लां के अनुसार काम नहीं कर रही हैं लोगों को जब चाहा पकड़ कर पुलिस में दे दिया, जेल में दे दिया

Mr. Speaker:It is not relevant (interruptions).

श्रीमति चन्द्रावतीः अच्छा जनाब तो मैं बन्द कर देती हूं (श्री गिरी ा चन्द्र जो ी की तरफ से विघ्न)

Mr. Speaker: Order, order please.

श्री बनारसी दास गुप्तः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। मेरी सबमि ान यह हैं कि बहन चन्द्रावती जी कई बार कल से यही चर्चा कर रही हैं कि.....बना कर लोग जेल में दे दिए गए तो एक दो इंस्टासिज अगर जो ी जी बता दें , तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं हैं, बात हाउस में स्पश्ट हो जायेगी कि किस–किस को जेल में दिया हैं और किस–किस के खिलाफ..... बनाए हुए हैं, सारी बात साफ हो जाएगी।

Mr. Speaker: Order please. I will conduct the business according to these Rules.(Interruptions)

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक बात को स्पश्ट करने के लिए सबमि ान की जा सकती हैं अगर आप इजाजत दे दें तों।

Mr. Speaker: Order please.

श्री के0 एन0 गुलाटी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह ला ऐंड आर्डर की बात करते हैं, तो मैं अर्ज करता हूं कि मैंने उस दिन सप्लीमैंट्री, एक लड़की के बारे मे किया था, तो यहां ला एंड़ आर्डर इतना अच्छा हैं कि उसी वक्त यहां से वायरलैस गया और लड़की रिकवर कर ली गई। ला ऐंड आर्डर इतना अच्छा हैं

कि पुलिस को दाद देता हूं लेकिन यह कहते हैं कि खराब हैं(थपिंग)

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी (यमुनानगर): द?अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने फाईनैस मिनिस्टर साहब ने हरियाणा एप्रोप्रिए ान (न0 5) बिल पे ा हैं और इस पर चर्चा (अध्यक्ष महोदय के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।) चल रही हैं। इसमें जो मदें हैं, इनके बारे में कला डिमांडज सदन में पे ा थी। और उस वक्त काफी वजाहहत के साथ इन के बारे में कहा जा चुका हैं। इस में तीन ही मंदे हैं इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और कंटीनजैसी फंड । इंडस्ट्रीज की मद तो सिर्फ 120 रूपये की हैं जो कि डिकीटल अमांउट हैं और किसी एक पाट्री को एक केस में उस केस की कास्ट के तौर पर देना पड़ा हैं और इस लिए यह कन्सालीडेटिड फंड से चार्ज किया गया हैं। दूसरी मद ट्रासपोर्ट के सिलसिले में हैं और यह 4 करोड़ 80 लाख रूपये की मद हैं। इस बारे में काफी वजाहत के साथ बातया जा चुका हैं कि यह किस लिए चाहिए। हरियाणा सरकार ने हाल ही में जो डीयरनैस अलाउंस अपने मंलाजमों का बढ़ाया हैं, वह अच्छा कदम हैं और यह जरूरी था कि वह बढ़ा हुआ अलांउस ट्रासपोर्ट के मुंलाजमो को भी दिया जाता। तो एक तो इस मकसद के लिए और दूसरे जो डीजल आयल, मोबिल आयल, स्पेयर पार्टस, टायर्ज वगैरा की जो कीमतें बढ़ी हैं, किसी आइटम में हडंर्ड परसैंट और किसी मैं इससे भी ज्यादा कीमतों में बढौत्तरी हुई हैं, उसे मीट करने के

लिए यह पैसा मागां गया है। हमारी ट्रासपोर्ट दे ा में सबसे बढ़िया ट्रंसपोर्ट हैं और यह बढ़िया हैं कि इसे बढ़िया ही रखा जाए, ताकि वह आम जनता कि सहूलियत कि लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। ऐसा करने के लिए यह जो पैसा मांगा गया हैं, ठीक ही मांगा गया हैं। तीसरी मद कन्टैन्जैसी फंड को एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने के लिए और ऐसा करने के लिए दो करोड़ रूपया मांगा गया हैं। पहले कन्टीन्जैसी फंड 75 लाख रूपये होता था, बाद में इसे बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया। और अब तीन करोड़ रूपये किया जा रहा हैं। यह फंड क्या होता हैं और किस मकसद कें लिए होता हैं इस बारे में फाजल दोस्त चौ0 मेहरचन्द जी ने काफी वजाहत के साथ कल बताया था कि यह इस पर्पज के लिए जैसे क्रिएट किया जाता हैं ताकि जब कभी सरकार को अमरजैंसी वर्कस के लिए जैसे ड्राट हैं, फैमिन हैं, उस सिलसिले में जब अचानक खर्च करना पड़ जाए, तो इस फंड में से पैसा ले लिया जाए और बाद में वह हाउस से मन्जूरी लेकर रीकूप कर दिया जाए। हमारे दे ा प्रदे ा में पिछले तीन सालों से ड्राट और फैमिन के हालत रहे हैं और इस साल तो ज्यादा कहर हैं। इन हालात को मीट करने के लिए दूर करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उन फैमिन और ड्राट एरियाज में डिवैल्पमैंट वर्कस चालू करवाये हैं जहां पर उन लोगो पर आफत आई हुई हैं, उनको राजेगार नहीं मिलता हैं और खाने के लिए मोहताज हैं ताकि इस तरह करने से एक तो लोगो को रोजगार मिल जाए, रोटी का साधन का मिल जाए और दूसरे डिवैंल्पमैंट के काम भी

हो जाएं। तो यह मद इस सिलसिलें में रखी गई हैं ताकि यह फंड ऐसे हालात में ऐसे डिवैल्पमैंट वर्कस को चालू करने के लिए एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया जाए,क्योंकि इससें पब्लिक बहबूदी के काम एमरजैंसी के वक्त में जब लोगों पर आफत आ जाए, किए जा सकें। तो यह निहायत मुनासिब मांग हैं और इस कल भी काफी डिटेल के साथ चर्चा हो चुकी हैं। इसके साथ–साथ मैं एक और बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक बात यह सदन कल भी डिमांडज पर बहस के वक्त और आज भी इस बिल पर बोलते हुए बार–बार कही गई और कुछ मैंबर साहबान ने जो इस सिलसिले में बात करने का नजरिया रखा हैं, उससे मुझे बहुत दःख हुआ और अफसोस भी हुआ कि महज अपने जाति मामलों की बुनियाद पर और अपने निजी स्वार्थ की बुनियाद पर बहक कर उन मामलों को तो पीछे रख कर देते हैं जो आम जनता की भलाई से सम्बन्ध रखते हैं जिसन हमें चुन कर यहां भेजा हैं और दूसरी बातें ले बैंठतें हैं। हमें 60/60 और 70/70 हजार लोगों ने चुनकर यहां इसलिए भेजा हैं कि हम उनकी भलाई के बारे में सोचे और काम करें लेकिन हम उनको दरकिनार रख कर अपने पर्सनल ऐग्रेंडाइजमैंट के लिए अगर इस सदन को अखाड़ा बना लें महज इसलिए कि हमारी पेपर्ज में पब्लिसिटी हो, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए मुनासिब बात नहीं हैं। हम जिम्मेदार आदमी हैं और आनरबेल आदमी गिने जाते हैं इसलिए हमें ऐसा करने नहीं चाहिए। जैसे वाकियत यहां सदन के सामने आए और जिनकी पब्लिसिटी आज अखबारों में भी आई हैं, उस

सिलसिले में मैं जरूर बात करना चाहता हूं। यहां पर एक माननीय सदस्य ने अपने पर्सनल एग्रेंडाइमैंट के लिए कुछ बातें कहीं, जिन से मेरा भी ताल्लुक हैं क्योंकि मैं इन इनटक का चीफ भी हूं और सारे हरियाणा का इस नाते का दौरा करता हूं। उनकी निस्बत और उनके भाई की निस्बत मुझे कुछ कहना हैं। यह जरूरी हैं कि उनके भाई साहब का, जिन निस्बत कहते हैं चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल ने(श्रीमति चन्द्रावती कि तरफ से विघ्न) ..आपकी इस बात को कई बार सुना हैं, आप अपनी बात तो सुन देती हैं लेकिन मेरी बात नहीं सुनती हैं। जब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो क्यों नहीं कहने दिया जाता। इन के भाई साहब के बारे में यह बात है कि वह इस किस्म के आदमी रहे हैं.....

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा एक प्वांयट आफ आर्डर हैं।

श्री गिरि ा चन्द्र जो ी: दो साल पहले की बात हैंकृ

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, मैं प्वांयट आफ आर्डर पर खड़ी हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका क्या प्वांयट आफ आर्डर हैं ?

श्रीमति चन्द्रावती: जी हां, ये जो चाहे कहें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे को भी कहने की इजाजत होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बहिन जी, मैं यह आपको पहले ही रोक रहा था कि आप इररैलैवैन्ट न बोंले। अच्छा होता....

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, मैं इरैलेवैन्ट बिल्कुल ही नहीं बोली लेकिन जो हमारे साथ जुल्म होता हैं, लोगों के साथ जुल्म होता हैं, उस बात को यहां कहने.....

Mr. Speaker: Order please. You yourself has imported the matter and nopw you want to resist it.

श्रीमति चन्द्रावतिः तो ठीक हैं, कहने दें। यहां तो... बोलते ही है।...

श्री गिरि ा चन्द्र जो ीः .....नहीं बोला था। सच्ची बात जजब करने का मादा होना चाहिए।

Mr. Speaker: The word 'Jhoot' is to be expunged. It is unparlia

*अध्यक्ष महोदय के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गिरि ा चन्द्र जो ीः तो जनाब , मैं यह कह रहा था कि तकरीबन देा साल पहले की बात हैं जो मुझे वहां के आदमियों ने बताई। मेरी वहां दादरी में सीमेंट फैक्ट्री हैं। एक भाादी में, जो काफी बड़ी भाादी थी, भोपाल से कबायल आए हुए थे और उनकों सुनने के लिए कोई बीस–पच्चीस हजार की हाजरी में लोग मौजूद थें। तीन डिस्ट्रिक्टस के डिप्टी कमि नर्ज और

एस0 पीज0 भी वहां मौजुद थें। चीफ मिनिस्टर साहब भी कुछ देर के लिए गए लेकिन बाद वे दिल्ली चले गए। बनारसी दास जी भी कुछ देर के लिए गए और उसके बाद वे भी वापिस आ गए। लेकिन। लेकिन ये सब चल आए, तो इन चन्द्रवती जी के भाई साहब अपने चार–पांच दोस्तों के साथ, दोस्त क्या गुंडे कहिए, मैं साफ कहना चाहुंगा, क्योंकि साफ कहना कोई गुनाह नही हैं और गांधी जी ने हमें सिखाया हैं– ाराब पीकर उस भारी मजलिस में स्टेज पर चले गए। जब उनको कहा गया कि जनता एतराज करती है कि ये वाक्यत ठीक नही हैं, तो वे नही माने, क्योंकि गर्मी थी अपनी बहिन की क्योंकि वह चीफ मिनिस्टर साहब की नजदीक थी। इसलिए वह न किसी डी0 सी0 की परवाह कर और न किसी एस0 पी0 की परवाह करे। जब आखिर में एक एस0 पी0 साहब ने जरूरत समझी और उनको दस मिनट का टाईम दिया, तब उनको अरैस्ट किया गया। केस कोर्ट में गया और उनको जुर्माना हुआ, उस जुर्माने के ऊपर उन्होंने अपील तक नही की। अगर ला ऐंड आर्डर की बात की जाए तो, मैं तारीफ करूगां चीफ मिनिस्टर साहब की। चीफ मिनिस्टर साहब के बहुत नजदीक होने के बावजूद भी...(व्यवधान) ....जो सदस्या यहां पर बैठी हुई हैं इनके भाई साहब ने यह हरकत की थी। एस0 पी0 ने जो ऐक ान लिया, उस ऐक ान की, सी0 एम0 साहब ने, ताईद की। ला ऐंड आर्डर रखने के लिए, चीफ मिनिस्टर साहब, मेरा भी अगर कोई भाई हो और वह गलत काम करे..(व्यवधान).....

Mr. Speaker: Order please.

श्री गिरि ा चन्द्र जो ी: उसको भी गिरफ्तार करें, तो मैं समझता हूं, कि यह तारीफ की बात हैं। यह ला ऐंड आर्डर खराब नहीं बल्कि सही हैं।

स्पीकर साहब, इस तरह अगर आज एक भाई खुले आम बाजार में किसी बनिए को पकड़ कर के पचास जूते लगा दें, वह आदमी तो ठीक समझा जाए और फिर कहा जाए कि सरकरा का ला एंड आर्डर खराब हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे आदमियों के पकड़ते हैं, यह बडी गलत बात हैं। मै नही समझता कि इससे ज्यादा कोई मुनासिब बात, कोई सरकार किसी की निस्बत कर सकती हैं। इन भाब्दो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, स्पीकर साहब इतना कहता हू कि मैंने सही वाक्ययात का ध्यापन किया हैं।

बहिर्गमन

Mr. Speaker: Shir Gulab Singh Jain.

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया गया हैं। मैं बोलना चाहती हूं। बोलने कि इजाजत होनी चाहिए।

Mr. Speaker: There is no point of personal edplanation.

श्रीमति चन्द्रावती: लेकिन मेरे को जवाब का तो हक होना चाहिए। मैं अपनी बात तो कह सकती हूं जनाब इतना तो हमें अधिकार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपने तो अपनी बात पहले कह दी हैं....

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, मैंने नहीं कही हैं।

Mr. Speaker: Order please.

श्रीमति चन्द्रावती: जो ाी जी ने ...मैं प्वांयट आफ आर्डर पर हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने खुद इंट्रोडयूस किया कि आपने भाई को...

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, मैं प्वांयट आफ आर्डर पर हूं

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आपने खुद इंट्रोडूय्स किया कि आपके भाई को गलत, झूठा पकड़ा और इन्होंने जवाब दे दिया। What is personal then ?

श्रीमति चन्द्रावती: यह पर्सनल इसलिए हैं कि जो ाी जी ने जो गलतब्यानी करी, वह सदन को बता दूं।

Mr. Speaker: Order please. Shri Gulab Singh Jain.

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब, हाउस के सामने एप्रोप्रि ान बिल पे ा हैं। (विघ्न)...

Mr. Speaker: Order please.

श्री गुलाब सिंह जैनः इस बिल पर मेरे से पूर्व बोलने वाले साथियों ने कहा कि इसमें तीन मदें हैं इंडस्ट्रीज, ट्रांस्पोर्ट और कन्टैन्जैसी। इंडस्ट्रीज के बारे में.....

श्रीमति चन्द्रावतीः यहां गलत व्यानी की गई हैं।... (ाोंर)....

श्री गुलाब सिंह जैनः मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा।(Interrupotions)

Mr. Speaker: Order please. No interruptions. Please resume your seat.

श्री गुलाब सिंह जैनः बहिन जी, पे तर इसके कि मैं किसी और मद पर अऊ.....(श्रीमति चन्द्रावति की ओर से विध्न)...

Mr. Speaker: You cannot interrupt the business of the House like this.

श्रीमति चन्द्रावति : तो जनाब मैं वाक आऊट करती हूं।(इस समय श्रीमति चन्द्रावति वाक आऊट कर गई)

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1974(पुनरारम्भ)

श्री गुलाब सिंह जैन(हिसार): स्पीकर साहब के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जिस भाादी का ज़िक जो ी साहब

ने किया, उस भाादी में मैं भी बतौर बाराती के मौजूदा था। स्पीकर साहब, सी0 एम0 साहब वापस चले गए थें, बनारसी दास जी भी वापिस चले गए थें, लेकिन मैं स्टेज पर मौजुदा था जिस वक्त वे श्रीमान भाराब के न ो के अन्दर मदहो ा हुए अपने साथियों के साथ स्टेज पर आ बैठे। मैंने उनको रोका और कहा कि हमने आपको बुलाया नहीं। हिसार से हम लोग बरात लेकर आए हुए हैं, हमारी मजलिस में आप गड़बड़ क्यों करते हैं ? उनके हाथ में डांडा था। उन्होंने डांडा ऐसे घुमाया और मेरी तरफ अटैक करने की कोि ा ा की। आप मैंने उस पर एस0 पी0 और डी0सी को प्रोटैस्ट किया उन्होंने कहा कि वे आनरबेल मैंम्बर के रि तेदार हैं। हमको डर लगता हैं कि कहीं सी0 एम0 साहब हमारे खिलाफ ऐक ान न लें। मैंने कहा यह मेरी जिम्मेदारी हैं। आप ऐक ान लीजिएगा क्योंकि इस किस्म की गुड़ागर्दी एक भाादी के मौका पर, जहां भारीफ आदमी बैंठे हैं, भारीफ आदमी के यहां बरात आई हुई हैं, भारीफ आदमी बरात लेकर आए हुए हैं, अच्छी नहीं हैं। दूसरे भाहर में आए हुए लोंगो के साथ इस तरह नाजायज हरकत करना ठीक बात नही हैं। मेरे इस प्रोटैस्ट पर एस0 पी0 ने उसे समझाने की कोि ा ा की लेकिन उसके बावजूद जब एस0 पी0 की तरफ वहा डंडा लेकर चला, तब एस0 पी0 ने उसे अरैस्ट किया। मैंने उसके बाद सी0 एम0 साहब को टेलिफोन किया और उन्हें बताया कि हमारे साथ दादरी के अन्दर इस किस्म की ज्यादती हुई हैं और ज्यादती करने वाले एक मैंम्बर हैं, जिनके रि तेदारों ने उनके जोर पर हमारे साथ इस भाादी के अन्दर

ज्यादती की हैं। स्पीकर साहब, यह हमारे साथ खुद बीती। उसके बाद मुकद्दमा चला। और क्या हुआ, यह जो ी साहब बोल चुके हैं।इसके बावजूद, हमारी आनरबेल मैंबर, मेरी बहिन जी, ने यह जुर्रत करती हैं कहने की कि उनके साथ ज्यादती हुई। मुझे और मामलों से मतलब नही। वैसे तो हर कोई जानता हैं कि आज हरियाणा की तारीफ हरियाणा में ही नहीं तमाम हिन्दुस्तान में हैं। मैं तो अपने प्रोफै ान के सिलसिले में आधे हिन्दोस्तान का दौरा हर महीने करता हूं।

Mr. Speaker: Please confine yourself to the Appropriation Bill befroe the House.

श्री गुलाब सिंह जैनः मैं तो स्पीकर साहब, हाउस के सामने वह जो कहते हैं कि झूठी बात हैं, उसके जवाब में मैं तो बेहतर गवाही के बता रहा हूं। I am honourable member स्पीकर साहब, मेरे साथ यह बीति हैं।.....

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं।

श्री गुलाब सिंह जैनः इनके जोर पर इनके रि तेदार ने इस किस्म की ज्यादती की इस किस्म की बात की।

Mr. Speaker: Order please. There is a point of order. What is your point of order?

श्रीमति चन्द्रावतीः जनाब मै यह कहना चाह रही हूं। जब आप दूसरों की बात सुनते हैं, तो आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए।

Mr. Speaker: Please resume your seat. This is no point of Order.

श्रीमति चन्द्रावतीः आज जिस वक्त....

श्री गुलाब सिंह जैनः मैं चैंलेंज करता हूं। यदि यह बात गलत हो, तो मैं हाउस रिजाईन करने के लिए तैंयार हूं। I am prepared to resign अगर वे गलत हों, तो ये जुर्रत करें रिजाईन करने की।...(विघ्न)...मैं उस वक्त मौजूदा था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। जिस स्टेज पर हम लोग बैठे हुए थें...

श्रीमति चन्द्रवतीः जनाब, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर हैं।

Mr.Speaker: Please resume your seat. There is no point of order.And you are still on your legs.

Shrimati chandravati: I am not on my legs, sir.

श्री गुलाब सिंह जैनः तो स्पीकर साहब, आज हरियाणा की तरक्की के बारे में चारों तरफ चर्चा हैं, लोग तारीफ करतें हैं। विदे ाों से आने वाले लोग जो हमारे हरियाणा को देखते हैं, वे तारीफ करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात यहां चली। इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने जितना अच्छा काम किया हैं हमारे हरियाणा में, उतना भाायद ही कहीं हों। इस किस्म की गड़बड़ आज दूसरे

प्रदे ाो में भाायद हो, मैं नही कह सकता, लेकिन हमारे यहां नहीं हैं, और फरीदाबाद के अन्दर , जैसा एक प्वायंट यहां पर कहा गया, इस बात का ध्यान रखा गया कि जिन लोगो को रोजगार देहात में नहीं मिलता, जो बेजमीन हैं, उनको इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलें। हरियाणा सरकार, अगर मैं गलती नही करता, तो इस बात की तरफ खास ध्यान रख रही हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने देहात में स्पै ाल फोक्ल प्वांयट बनाए हैं, स्पै ाल इंसैटिव दिया जाता हैं, ताकि लोग देहात के नजदीक इंडस्ट्रीज खोलें। उनका स्पे ाल कोटा हैं। लोग आ रहें हैं और इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के ताजुर्ब से मालूम हैं। वहां जुगलान गांव हैं, उसके पास इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। केमरी गांव हैं उसके पास इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। मायड़ गांव हैं उसके पास इंडस्ट्रीज खुल रही हैं और इस तरह सादड़ गांव हैं उसके पास इंडस्ट्रीज खुल रही हैं ये मेरे हल्के के देहात हैं, जहां कि पिछले दो साल के अन्दर गवर्नमैंट की इस पालिसी के मातहत काम हुआ हैं, कि इंडस्ट्रीज हम स्प्रैड ओवर करें, नीयर दो विलेजज ताकि हमारे हरियाणा के गरीब और बेजमीन लोग जो हैं, उनको उन दिनों मजदुरी मिल सकें, जबकि ऐग्रीकल्चर का आप्र ान बन्द होता है, या ड्राट होता हैं, और आम हालत में भी मजदूरी मिल सकें। तो यह काम हैं जो हमारे यहां हुआ हैं। कम से कम मुझे अपने हल्के का तो मालूम हैं। यह सराहनीय काम हैं, जो सरकार कर रही हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंनें आलरेड़ी अच्छा कदम उठाया है।

स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट का जहां तक ताल्लुक हैं उसके बारे में बोलते हुए मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं बिहार के, टाटानगर के। यें काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्रीज वसिज की बाड़ी बिल्डिंग की हैं। That is one of the best in India वे कितनी ही स्ट्टेस की वसों की बाडीज बनाते हैं। पिछले दिनों वे ि ामला जाने के लिए दिल्ली आए और उन्होंने यह देखने के लिए कि हरियाणा स्टेट की जो बसें चलती हैं उनकी बाडीज कितनी अच्छी बनी हुई हैं, बस से ट्रैवल किया। वे करोंड़पति आदमी हैं। उनका अपना हवाई जहाज हैं। वे कलकत्ता टू टाटानगर और तमाम बिहार में अपने पर्सनल हवाई जहाज में घूमते हैं। इसके बावजूर भी सिर्फ हमारी ट्रांस्पोर्ट को देखने के लिए उन्होंनें दिल्ली से चण्डीगढ़ तक बसों में ट्रैवल किया। उसके बाद जब वे मुझे मिले, तो उन्होंनें कितनी तारीफ की हैं हमारी बसों की मेरे पास भाब्द नहीं हैं, उसका वर्णन करने के लिए। वे कहने लगे कि उन्हें व्यवसाव के सिलसिले में कितनी ही स्ट्टेस में जाना पड़ता हैं, लेकिन जितनी अच्छी बसें, जितनी अच्छी मैंटीनेंस, जितना अच्छा बसों का काम हरियाणा का देखा हैं, उतना अच्छा दूसरी स्टेट्स में नही देखा।

ठीक हैं कमियां रही हैं। कौन कहता कि कमियां नहीं होती, कमियां होती हैं–(तालियां)– गवर्नमैंट की कामियां की तरफ ध्यान दिलाएं, यह हमारा फर्ज हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर

साहब ने कल ही कहा था कि हम रोजाना तरक्की कर रहें हैं और जो कमियां होगी, उनको और दूर करेंगें। कभी कोई स्टेटिक कन्डी ान वर्ल्ड में आया नहीं करती। जब स्टेटिक कन्डी ान आ जाए। तो हमारे यहां जैनइजम में तो यह कहते हैं उस हालात में आदमी ऐक ीनलैस होता हैं, जब वह मोक्ष प्राप्त कर जाए, उससे पहले ऐक ीनलैस नही होता हैं, इसलिए मैं मान सकता हूं कि कमियां हैं लेकिन जो हम आइडियल कन्डी ानल चाहते हैं, उस आइडियलिज्म को सामने रखा जाता हैं। To chieve the idea is a very diffcult thing, but we always make an effort. मुझे खु ी हैं कि हमारे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब भी आइडियलिज्म तरफ हैं परन्तु हमारे हरियाणा की ट्रांस्पोर्ट दुनिया में अव्वल रही हैं। उसकी तरफ हर वक्त ध्यान रहता हैं। सरकार का ऐक ान ले रही हैं। मैं इन भाब्दों के साथ आपका भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे चन्द लफ्ज हाउस में कहने का मौका दिया।

Mr. Speaker.The Hon. Deputy Speaker.

श्रीमति चन्द्रावती: मेरी एक सबमि ान हैं.....

श्री अध्यक्ष: सबमि ान नही, On a point of order you can speak.

श्रीमति चन्द्रावती: आन ए प्वांयट आर्डर जनाब ?

Mr. Speaker: What is 'submission'? There is no such word under the Rules of Procedure.

श्रीमति चन्द्रावती: सबिम ान वर्ड तो हैं जनाब।

Mr. Speaker: Alright, I do not allow to submit. You can raise a point of order.

Shrimati Chandravati: I am on a point of order, Sir.....

श्रीमति लेखवती जैन(अम्बाला सिटी): स्पीकर साहब, मैं कल भी ट्रांसपोर्ट की डिमांड पर हाउस में बोलना चाहती थी। परन्तु जनाब हाउस में नही थे, इसलिए मुझे समय नहीं मिल सका। मुझे तो वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हाउस में बोलने को नहीं मिलता हैं। मैं आज इस डिमांड पर केवल एक मिनट या दो मिनट के लिए ही बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : आज आप खुब बोल सकती हैं।

श्रीमति लेखवती जैन: जनाब, आज कुछ बोलने का इतना मौका ही नहीं। मैं आउट आफ दी वे बोल सकती। कल जो डिमांड ट्रांसपोर्ट की हाउस में रखी गयी थी, उसके मुत्तल्लिक ही कहना चाहती हूं। जनाब, पहली बात तो यह हैं कि जितनी बार मैं बोलती हूं मैं खास तौर से तारीफ की बात नही कहती परन्तु कल मुझे जरा अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि ट्रेंजरी बैचिज के भाायद ही किसी मैंबर ने यह कहा हो कि जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट अच्छी हैं, उतना अच्छा काम भी कर रही हो। जितनी तारीफ दूसरे सूबों में हमारी ट्रांसपोर्ट की हैं, उतनी इस हाउस के अन्दर नहीं सुनी । चुनाचे में बार–बार कर्नल साहब की तरफ देख रही थी,

कि वे क्या कहते होंगें, क्या सोचते होंगे ? ट्रेजरी बैचिज वाले ही नुत्तकाचीन कर रहें हैं। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नही कहना चाहती हूं। हमारी ट्रांसपोर्ट एक दो सूबों को छोड़ कर बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं,सराहनीय हैं। कम से कम मैं यह कह सकती हूं कि जब भी कभी मैं बस से सफर करती हूं तो कुछ कमियां मैंनें देखी हैं। वैंसे तो मेरे पास गवर्नमैंट की गाड़ी हैं, सरकार का पैट्रोल होता हैं, लेकिन आजकल पैट्रोल की भाार्टेज हैं इसलिए मुझे भी ज्यादा पैट्रोल खर्च नहीं करना चाहिए। सब कुछ सुविधा होते हुए भी से सफर करती हूं। बाज दफा तो मैं बस से यह देखने के लिए सफर करती हूं कि बसें कैसी हैं, बस के अन्दर कन्डक्टर और ड्राइवर का कैसा सलूक हैं, ड्राइवर गाड़ी कैसा चलता हैं ? मैंने बस में सफर करते वक्त एक चीज जरूर देखीं हैं और उसकी और कर्नल साहब का ध्यान दिलाना चाहती हूं। कन्डक्टर का सलूक खास तौर से लेडीज के साथ अच्छा नही होता हैं। लेडिज को वे इतनी गिरी निगाह से देखते हैं और ऐसे भाब्दो का प्रयोग करते हैं, कि उन्हें नही करना चाहिए। बड़े सख्त इल्फाज में कहते हैं कि 'बैठ जाइए'। कहने का मकसद यह हैं कि अच्छी तरह से मुखातिब नहीं होते हैं। इस तरह से एक–आध कमियां यह हैं जैसे बसों की चटखनी टूटी हुई होती हैं, भाी ो टूटे हुए होते हैं, उनकी तरफ ओर ध्यान नहीं दिया जाता हैं। भाी ाा टूटा हआ हो तो सर्दी में तो ठडी हवा आती है और गर्मी में गर्म हवा आती हैं। ऐसी चीजों से पैसेंजर को दिक्कत होती हैं। ये मामूली सी चीजें हैं। इनके कारण से यहां हाउस में यह

कहना कि हमारी बसें अच्छी नहीं है, उनकी सीट्स अच्छी नही या ब्रेक–डाउन होते है, यह गलत बात हैं। अगर पचास या सौ बसें चलती हैं, उनमें से एकाध का ब्रेक डाउन होना, एकाध की सीट खराब होनी कोई बड़ी बात नहीं हैं। आखिरकार इतना काम होता हैं, उसमें कमी रह जाती हैं, मगर फिर भी मैं कर्नल साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगी कि जो छोटी–छोटी चीजें हैं, जहां पर खर्च कुछ नहीं हैं, इन बातों की ओर जरा सा ध्यान देने की आव यकता हैं। मैं एक बात और कर्नल साहब से कहना चाहती हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): अब स्पीकर साहब बहिन जी अम्बाला का जिक्र करेंगीं–(हंसी)

श्रीमति लेखवती जैनः अभी मैं अपनी कांस्टीच्यूऐसी का जिक्र करना चाहती थी। हमारे सी0 एम0 साहब इतने अन्तर्यामी हैं, वे पहले ही समझ गए हैं। जो बातें मैं कहना चाहती हूं, उनको पहले ही याद आ जाती हैं। वैसे तो सारी बातें अम्बाला के लिए सी0 एम0 साहब ने खुद ही करनी हैं, उनकी हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी हैं। स्पीकर साहब, मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी अम्बाला सिटी हैं। मैंने कर्नल साहब से पहले भी कहा हैं, कि वहां से दिल्ली के लिए एक डिलक्स बस चलाई जाए। अम्बाला कैन्ट से तो दिल्ली को डीलक्स बस चलती हैं, परन्तुं सिटी से नही चलती हैं। सिटी के लोगो को डीलक्स बस के लिए अम्बाला कैंन्ट जाना पड़ता हैं। वहां से भी एक या दो बसें चलाई जानी चाहिए। सिटी के लोगो को अम्बाला कैन्ट से बस लेने के लिए पांच छः मील

जाना पड़ता हैं वह अगर पहली बस में जाना हो, तो चार बजे उठना पड़ता हैं। वहां न तो पैदल जाया जा सकता हैं और न कोई ट्रेन वगैरह सुबह–सुबह जाती हैं। इसलिए मेहरबानी करके अम्बाला सिटी से जरूर बस चलाई जाए, जो सीधी दिल्ली जाती हों।

जनाब कहने के लिए तो बहुत कुछ हैं। मैंने तो केवल एक दो मिनट के लिए ही बोलना था। मैं तो यही कहूंगी कि जो यहां कल ब्यान किया गया, उससे हमारी बसें काफी बेहतर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जब भी मैं सफर करती हूं या कोई मौका किसी दूसरे प्रोविन्स में जाने का मिलता हैं, वहां पर यही कहा जा सकता हैं, कि तुम्हारा हरियाणा का प्रोविन्स बहुत तरक्की कर रहा हैं। तुम्हारी चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंनें बहुत काम किए हैं। वहां पर हमारी बसों की बहुत तारीफ की जाती हैं। इसमें कोई सन्देह भी नहीं हैं कि अब हमारी बसें पहले की अपेक्षा बहुत कम टूटी हुई हैं, काफी नई बसें चल रही हैं जैसी बात हाउस में कहीं गई, वैसी बात नहीं हैं। बहिन चन्द्रावती जी जो चाहे कहें, उसको मैं माइन्ड नही करती। मगर जो आनरबेल मैंबर्ज ने कहा, यह तो बहुत मामूली बातें हैं–किसी बस का भी ाा टूटा हुआ हैं तो किसी की चटखनी नहीं हैं। इस ओर तो थोड़ा सा ध्यान देने से ठीक काम कर रही हैं। एकाध स्टेट के मुकाबले थोड़ी सी कमी होगी। मैं उम्मीद करती हू कि कर्नल साहब इन

कमियों को भी दूर करवा देंगें। आपका भाुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्षः श्री रूलिया राम।

श्रीमति चन्द्रावतीः मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर हैं।

Mr.Speaker: Yes, क्या प्वायंट आफ आर्डर हैं ?

श्रीमति चन्द्रावतीः एक बात कहना चाह रही थी। जैसे जो ाी जी ने और श्री गुलाब सिंह जैन जी ने कहा, मैं उसी के बारे में कहना चाह रही थी।

Mr. Speaker: Raise a point of order. I will not allow you to speak again on this Bill. Please raise a point of roder if you want.

श्रीमति चन्द्रावतीः प्वांयट आफ आर्डर हैं जनाब.....के किसिज में लोगों को फंसाया जा रहा हैं, ...मे.....यह बात मैं कहना चाहती हूं।

Mr. Speaker: Order please. First read rule 112 and then raise a point of order.

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, क्या ये ऐक्सपंज नही करने चाहिए ?

श्री अध्यक्षः क्या रिमार्क्स कहे हैं ?

चौधरी बंसी लाल: कि के मुकद्दमे चलाए जाते हैं।..... ओर कि क्या जरूरत हैं।

श्रीमति चन्द्रावती: * * * *

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री चौधरी बंसी लाल: मेरी तो यह भी बहिन हैं जी (हंसी)।

श्रीमति चन्द्रावती: * * ***

Mr.Speaker: All these remaks should be expunged.

श्रीमति चन्द्रावती: मुख्य मंत्री के रिमार्क्स भी ऐक्सपंज होने चाहिए।

Mr. Speaker: Order please. If anything is said against your person's .if anything is said against the persons of an Hon. here. that can be raised on a point of persons explanation nothing else.

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब मेरे प्र न के खिलाफ कहा हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्र न हैं। अध्यक्ष महोदय क्या कोई भी इसे सदन का माननीय सदस्य इस प्रकार की असभ्य भाशा का प्रयोग कर सकता हैं और वह इस प्रकार की गालियों

का प्रयोग कर सकता हैं जो श्रीमति चन्द्रावती जी ने सदने के नेता के विरूद्ध कही हैं ? क्या उसका यही इलाज हैं कि उसके रिमाकर्स एक्सपंज कर दिये जायें ? क्या ऐसे असभ्य सदस्य के विरूद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकती ?

श्री अध्यक्षः मेरे पास तो इलाज एक्सपंज करने का है वह तो मैंने कर दिया हैं, बाकी हाउस के पास हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ताः मेरा सुझाव यह हैं कि ऐसे सदस्य के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। जो सदस्य लीडर दी हाउस को इस सदन के अन्दर मां और बहिन की गांलियां दे सकता हैं, ऐसे सदस्य को माफ न किया जाए, और इसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

Mr. Speaker: Shri. Rulya Ram.

लाला रूलिया राम (घरौंडा): स्पीकर साहब, मुझे कल टाईम नहीं मिला और अब आपने टाइम दिया हैं, इसके लिए मैं आपका भाुक्रगुजार हूं। मेरी अर्ज यह हैं कि जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल हैं, हमें मालूम हैंकि जब हमारा हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, उस टाईम हरियाणा की क्या पोजी ान थी और आज हरियाणा की क्या पोजि ान हैं। आज हरियाणा इतना ही नहीं, सारे इंडिया के अन्दर एक स्थान बना चुका हैं। अब हम यह देखना चाहते हैं कि हरियाणा इंडस्ट्रीज के अन्दर कहां तक आगे बढ़ सकता हैं। इन भाब्दों के साथ–साथ मैं अपने इंडस्ट्रीज के

अन्दर कहां तक आगे बढ़ सकता हैं। इन भाब्दों के साथ–साथ मैं अपने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि यह ठीक हैं कि हरियाणा में नई–नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं। लेंकिन इस तरफ से जो कमिया रह गयी है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत हैं। मैं जानता हूं कि मजदूरों की दिक्कतें आती हैं, एक थोड़ी सी बिजली की किल्लत हैं–हरियाणा के अन्दर। इसलिए अगर थोड़ी सी इन लोगों की इमदाद हो जाए, तो हरियाणा बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता हैं।

दूसरे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मेरी अर्ज यह हैं कि जब से हरियाणा के अन्दर ट्रांसपोर्ट नै ानेलाईज हुई हैं, हरियाणा की ट्रांसपोर्ट ने इस कदन तरक्की की हैं कि वह बेमिसाल हैं और उसका कोई मुकाबला नहीं हैं। मैं आपके द्वारा थोड़ी सी कमियां बताना चाहता हूं, जैसे कि बहिन जी–(श्रीमति लेखवती जैन) ने बताई हैं। वह थोड़ी सी कमियां यही हैं कि कन्डक्टर्ज का रवैया थोड़ा सा खराब रहता हैं। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और कर्नल साहब से यह अर्ज कंरूगा कि जैसे कन्डक्टर्ज को जिस वक्त लगाया जाता हैं, तो उनको एक महीने या दो महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से जिस वक्त कन्डक्टर्ज लग जाएं, तो जिस तरह से गुरूकुल में पढ़ाई कराई जाती हैं, उसी तरह से उनके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोल कर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनके बिहेवियर में सुधार किया जा सके। इसलिए मेरी अर्ज यही हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग स्कूल खोलकर उनको ट्रेनिंग देकर

उनके बिहेवियर में सुधार लाया जाए। ठीक हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट में कुछ थोड़ी–बहुत कमियां हैं लेकिन उसकी माली हालत बहुत अच्छी हैं और हमारी ट्रांसपोर्ट ने जिस कदर तरक्की की हैं, इसमें कोई भाक की बात नही हैं। मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में एक बात और लाना चाहूंगा कि जो हमारे बहुत पुरानी गाड़िया हैं, जो पुरानी ही नही, बल्कि रद्दी हो चुकी हैं, उनसे मुसाफिरों को बहुत तकलीफ होती हैं। वे अक्सर रास्तो रास्तों में खराब हो कर रूक जाती हैं, उनसे मुसाफिर को बहुत तकलीफ होती हैं। वे अक्सर रास्तों में खराब हो कर रुक जाती हैं। या तो उनको बदलने की कोि ा ा करें या फिर अगर चलाना ही हो, तो उनको पूरी रिपेयर कराने के बाद ही चलाया जाए।

मैं होम डिपार्टमैट के मुताल्लिक एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदे ा के साथ यमुना के बराबर–बराबर वाले इलाके में रहता हूं। मेरे इलाके के साथ ही यू0 पी0 लगती हैं। मैं आपके द्वारा सदन में यह बताना चाहता हूं कि मेरे यहां एक दो कत्ल के केसिज हुए जो यू0 पी0 वालों ने किए। अभी हाल ही में एक माह के अन्दर हमारे एस0 एच0 ओ0 और एस0 पी0 साहब ने कोि ा ा करके यू0 पी0 से उन केसों को बरामद किया। यहीं तक नहीं किया, बल्कि एक यू0 पी0

के कस्बे के केस को भी हमारी पुलिस ने बरामद किया। आज यू0 पी0 के लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं कि

यहां पर कितना अच्छा इन्तजाम है। मैं आपके नोटिस में यही अर्ज करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। यहां पर दो तीन ही डिमांडज हैं। The whole Administration is not under discussion.

लाला रूलिया रामः तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा की पुलिस जो काम कर रही हैं, वह ठीक कर रही हैं। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को दाद देता हूं कि अगर ऐडमिनिस्ट्रे ान को इस तरीके से मजबुत रखा गया, तो हरियाणा और आगे निकलता जाएगा। जयहिन्द!

चौधरी फूल चन्द(रोहट–अनूसूचित जाति): स्पीकर महोदय, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज की मांगो पर कल से हमारी विधान सभा में बहस हो रही हैं। मेरे दिल मैं इस बात की बहुत खु ाी हैं कि जब हम दूसरे विशयों का जिक्र करते हैं, तो हमें उन पर काफी मु कलात नजर आती हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट का विशय हमारे लिए फख का और खु ाी का विशय हैं कि हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। हकीकत तो यह हैं कि हमारी स्टेट की ट्रांसपोर्ट ने और वसिज ने केन्द्र की रेलों को फेल कर दिया। इन लोगो रेलों में ही बैठना ही पसन्द नहीं करते। वे हरियाणा

रोड़वेज की बासिज में बैठकर जाना पसन्द करते हैं। इसकी वजूहात तो यही हैं, कि उनका वक्त भी बचता हैं, पैसा भी कम लगता हैं, सेफ भी हैं और सब तरह की सहूलियते मुहैया हैं। इसलिए मैं साथ ही यह भी कहूगा कि मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी के लिए जितना भी पैसा लगाएं, उतना ही ज्यादा हमें मुनाफा होगा। अगर मैं गलत नही हूंगा तो मेरे ख्याल में सबसे ज्याद अगर किसी डिपार्टमैंट से सरकार को मुनाफा होता हैं तो वह ट्रांसपोर्ट के महकमा से ही हैं। यह सबके लिए एक खु ाी की बात हैं और इसकी तरफ सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपको मार्फत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से एक अर्ज करूंगा। वैसे तो बड़ी मांग हैं और अगर आप हजार बसें भी और लगाकर चला दें, तो भी लोग और मांग करेंगें क्योकि हमारे सर्विस अच्छी हैं और बड़ी ऐफि ाएट हैं। फिर भी जैसे सोनीपत का जिला हैं, अभी–अभी जिला बना हैं, वहां पर एक तो बस स्टैण्ड नही है, यह ठीक है कि गवर्नमैंट बहुत जल्द ही बस–स्टैण्ड बनाना चाहती हैं, क्योंकि सरकार की सब जगह बस–स्टैण्ड बनाने की प्रपोजल हैं, लेकिन वहां पर सब–डिपो तो जरूर मंजूर कर देना चाहिए, क्योकि वहां पर हमे ाा 20–25 बसैं खड़ी रहती हैं और हजारों यात्री बसें पकड़ने के लिए मौजूद रहते हैं। वह जगह दिल्ली और चण्डीगढ़ आने जाने के लिए एक सेन्टर बन गई है। मैं आपकी मार्फत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से अर्ज करूगां कि हम सोनीपत के लोग दिल्ली या चण्डीगढ़ आने–जाने के लिए बड़ी दिक्कत महसूस करते

हैं, वहां से चण्डीगढ़ के लिए एक बस पौन सात बजे आती हैं। उसके बाद कोई बस नही नही मिलती। इंडस्ट्रियलिस्टस भी अफसरान भी, आम लोग भी जिन्होंने यहां से अदालतों मे आना होता हैं और एम0 एल0 भी इस बात को महसूस करते है कि वहां से आने–जाने में डिफिक्लटी हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से अर्ज करूगां कि अगर आप वहां से और बसे नही चला सकते तो फिलहाल न सही लेकिन अगर आप इतना करवा दें, तो बडी मेहरबानी होगी, कि हमारी बहुत सी जो बसें चण्डीगढ़ से दिल्ली तक जाती हैं, उनमें से तीन–चार बसों का रूट वाया सोनीपत कर दें। इससे बड़ी मु कल से तीन–चार मील का फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके आलावा मैं यह अर्ज करूगां कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नमैंट को वधाई देता हूं कि वे इस तरह की जितनी भी सहुलियत हमें दे रहे हैं, वे बड़ी अच्छी हैं और इससे हमारी ट्रांसपोर्ट बड़ी कमयाब होने लग रही हैं।

स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक भी अर्ज करूगा। इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक तमाम एम0 एल0 एज0 के पोजि ान का पता है। जितनी कमियां (डिफिकल्टीज) हमारे सामने आने लग रही हैं, उनका भी एक बड़ा काइसिज हमारे सामने मौजूद हैं। मैं जनाब कि खिदमत मैं अर्ज करूगां कि अगर ऐसे हालत में चन्दे की वसूली इंडस्ट्रीयलिस्ट्स से थोड़ी सी कम करवाने के लिए गवर्नमैंट से दरख्वास्त पे ा कर दें, तो बडी

मेहरबानी होगी। मुझे पता लगा कि हर काम के लिए उनसे चन्दा लिया जाता है। कई इंडस्ट्रीयलिस्ट्स मेरे पास आए। उन्होंनें मुझे बड़ी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आजकल भी, जबकि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे है, हम से किसी न किसी भाक्ल में, कभी रैडकास का चन्दा हैं, कभी कोई बीमारी हैं, उसके लिए चन्दा तो कभी किसी ओर किस्म का चन्दा किया जाता हैं। मेरी सरकार से अर्ज यह हैं कि जब तक इंडस्ट्रीज की नार्मल पोजी ान नही आ जाती तब तक हमारे इंडस्ट्रीयलिस्ट्स से इस दौरान में इस किस्म की वसूली बन्द करायें, तो मैं आपका बड़ा भाुक्र गुजार हूंगा। जय हिन्द !

श्री गौरी भांकर (नरवाना): स्पीकर साहब, इस वक्त हाउस के सामने तीन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज हैं। मैं इंडस्ट्रीज के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस वक्त हरियाणा में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब के प्रयत्नों से इंडस्ट्री के मामले में हरियाणा तरक्की के लिए में पंजाब से अव्वल नंबर आया हुआ हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब 28 तारीक को जींद गए थे। जींद में इंडस्ट्रीज के लिए जमीन एक्वायर कर लि गई हैं। और नरवाना जमीन में ऐक्वायर करने को उन्होंने वादा किया था। आज हर डिविजन और सब डिविजन पर इंडस्ट्रीज लगाने की हरियाणा सरकार काम कोि ा ा कर रही हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। स्पीकर

साहब, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज के लिए जितना रूपया रखा गया हैं वह कम हैं और ज्यादा रूपया रखा जाना चाहिए, जिससे लोगों को ऐग्रीकल्चर पर गुजारा नहीं कर सकते, उनके लिए रोजगार के साधप मिल सकें।

जहां तक ट्रांस्पोर्ट का ताल्लूक हैं, इसके अन्दर हरियाणा ने बहुत अधिक तरक्की की हैं। एक दो बातों जैंसे ड्राइवर और कन्डक्टर का रवैया, इसके बारे में दूसरे साथियों ने काफी कुछ कह दिया हैं और मुझे आ ाा है कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब इन बातों की तरफ ध्यान देंगें ताकि ये त्रुटियां जल्दी से जल्दी दूर हो सकें। इसके साथ ही साथ मैं इस तरह की ताईद करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह बिल पास कर दिया जाए।

श्री के0 एन0 गुलाटी (फरिदाबाद): स्पीकर साहब, दो तीन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज सदन के सामने हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं कि जितनी कासिंग बसिज यानी दिल्ली से फरीदाबाद को क्रास करती हैं, उनको सीधा न निकाल कर ओल्ड फरीदाबाद से अजरोहा, बाटा मोड़ से हाल्डिंग और फिर हाल्डिंग से बल्लभगढ़ होकर गुजरें, तो इसमें बहुत फायदा होगा। बसों को इस तरह से पास करने में सिर्फ पांच मिनट का फर्क पड़ता हैं, लेकिन जहां तक आमदनी का सवाल हैं, वह बहुत अधिक हो सकती हैं। बाटा मोड़ पर बहुत अधिक सावरियां मिलती हैं। जब कोई बस दिल्ली से वापिस आए, वह भी इसी रूट से गुजारी

जाए। मेरी प्रार्थना हैं कि इस प्रकार के आर्डर भीघ्र ही किए जाएं ? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं , वह यह हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मैंबरो के साथ बहुत ही फराखदिल हैं। अब तक एक एम0 एल0 ए0 डिलैंक्स में फ्री सफर कर सकता हैं। मेरी प्रार्थना हैं कि उनके लिए एयर कंडी ान में सफर करना भी फ्री कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा।

स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा प्रान्त के अन्दर 77–78 मदर टीचर्ज हैं, अगर इस कन्टिनजैंट फण्ड में से थोड़ा पैसा उनको दें दें तो ठीक रहेगा। आजकल इस मंहगाई के जमाने में 100 रूपया में क्या होता हैं। स्ट्राइक के वक्त इस मदर टीचर्ज ने बहुत अच्छा काम किया हैं। ये मदर टीचर्ज सात–आठ से काम कर रही हैं और इनका बहुत ही अच्छा काम हैं। इसलिए मेरी दुबारा प्रार्थना हैं कि कन्टिनजैंट फण्ड से इनको पैसा दिया जाए। इन लफ्जों के साथ मेरी प्रार्थना हैं कि इसको पास किया जाए।

वितमंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा बिल था। सप्लीमैंट्री बजट के ऊपर बड़ी मुफस्सिल करने का ज्यादा जरूरत नहीं थी। (इस समय उपाध्यक्षा पदासिन हुई) इसमें 120 रूपया इंडस्ट्रीज के लिए चार्ज्ड आइटम के अन्डर मांगा गया हैं। जहां तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लूक हैं, मुझे इस बात की खु ाी हैं कि माननीय सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट के वर्किंग की बड़ी तारीफ की हैं। इसमें कोई भाक नहीं कि अगर दूसरे स्टेट् की साथ इस मुकाबला किया जाए, तो हम इसमें आगे हैं

और कल ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया था कि आगे और भी बहुत अच्छा इन्तजाम होगा। कन्टिनजैंट फण्ड के बारे में कहा गया कि इसका मिसयूज होगा। मुझे निहायत अफसोस हैं कि ऐसा कोई मैबर ने कहा हैं मै कहता हूं कि मिसयूज का सवाल ही नहीं होता। इसका नाम ही ऐसा हैं कि जब रूपये की जरूरत हो, और किसी काम के लिए असम्बैली से पहले रूपया पास न हुआ हो, तो उसमें पैसा खर्च कर लेते हैं। गवर्नमैंट के पास जो पैसा आता हैं, वह सारा कंसौलिडेटिड फण्ड के अन्दर भाामिल होता हैं। इसके से पैसा निकालने के लिए सिर्फ असैम्बली को अख्तियार होता हैं। जहां पर बजट प्रोवाईड न हुआ हो, किसी ऐसी बात का प्रोविजन न हो और उसके लिए खर्च की जरूरत हो, तो उसके लिए कन्टिनजैंसी फण्ड से पैसा लेते हैं, जब तक कि असैम्बली से वह पास न हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

Deputy Speaker: Question is:-

That the Haryana Appropriation (NO.5) Bill be taken into consideratiion at once.

The motion was caried.

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker: Question is:-

That schedele be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is:-

That enacting frmula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried

Title

CLAUSE 3

Deputy Speaker: Question is:-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital): madam, I beg to move:

The the Haryana Appropriation (No.5) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Appropriation (No.5) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question:-

That the Haryana Appropriation (No.5) Bill be passed.

The motion was carried

दी पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा वेलीडे ान) बिल, 1974

Developmet Mininster (Col. maha Singh): Madam, I beg to introduce the Punjab Panchayat Samits (Haryana Validation) Bill, 1974.

I also beg to move –

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill be taken into consideratiion at once.

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill be taken into consideratiion at once.

चौधरी फूल सिह(मुलाना–अनुसूचित जाति): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह एक साधरण सा बिल हैं, जिसका मतलब सिर्फ रि–डिलिमिटिड ब्लाक्स द्वारा पंचायतों की पुरानी कार्यवाही को रैगुलराइज करना और उनकी कांस्टीच्यू ान को वैलिडेट करना हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक बहुत अच्छा बिल सदन के सामने हैं, क्योंकि नए जिले बनने के प चात् हमारे कुछ व्लाक्स की डि–लिमिटे ान हुई और डि–लिमिटे ान के प चात् उनके नए ब्लाक्स बनें, नई समितियां बनी। कुछ एरिया उनमें भाामिल हो गए, और कुछ एरिया उनमें से निकालकर दूसरे ब्लाक्स में डाल गए। इसका मुद्दा सिर्फ यही हैं कि उन समितियों को ठीक मान लिया जाए और जो कार्यवाही हैं, उसको भी पूर्ण रूप से ठीक मानकर समितियों को लागू मान लिया जाए।

तो इससे समितियों में जो झगड़े पड़ते थें कि यह समिति दूसरी हैं, यह ब्लाक दूसरा है, उनको तय करने में यह बिल काफी लाभदायक रहेगा। इसके साथ–साथ मैं इस बिल को लाने वाले मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं क्योकिय यह

समय के मुताबिक बहुत जरूरी था। समितियों की बाबत मैं थोड़ी बहुत कहे बिना नही रहूगां। पंचायत समितियों ही देहात के अन्दर एक ऐसी इंस्टीच्यू ान हैं, जिसके अन्दर हम देहाती भाईयों के लोग चुनकर आते हैं, समितियों के मैम्बर बनते हैं, पंचायत समितियों के मैंबर बनकर आते हैं और जैसे एक बार गांधी जी ने कहा था कि हम सैल्फ गवर्नमैंट बनांएगे तो सैल्फ गवर्नमैंट का यदि देहात के अन्दर मुद्दा हैं, तो वह पंचायत समितिया ही हैं। पंचायत समितियों के पास ग्रांटस होती हैं, जिनका इंतजाम पंचायत समितियों को खुद करना होता हैं। देहातों की डिवैल्टमैंट का सारा इन्तजाम पंचायत समितियों के हाथ में होता हैं। समितियों के अन्दर जो बड़े–बड़े आदमी आते हैं। इससे आगे चलकर मैं यह कहूंगा कि पंचायत समिति के अन्दर जो बी0 डी0 ओज0 वगैरह चले आ रहे हैं, उनको तो मैं आजकल के कलियुग का कृ ण कन्हैया ही कहूगां। उनके पास कोई ऐसा काम नही हैं, सिवाए वहां बैठेकर गुलछरें उड़ाने केः उन लोगों के पास कोई काम नहीं हैं और न ही वे लोग कोई काम काज में ध्यानप देते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि अगर इन बी0 डी0 ओज0 की पोस्ट्स को खत्म कर दिया जाए, तो हरियाणा सरकार का काम रूकेगा नहीं, बल्कि और अच्छी तरह से चलता रहेगा। अतः सरकार को जल्द से जल्द इन बी0 डी0 ओज0 की पोस्ट्स को समाप्त कर देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बड़े अदग से गुजारि ा करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी नजदीकी की स्टेट पंजाब ने इन बी0 डी0 ओज0 की पोस्ट्स को समाप्त कर दिया हैं, उसी

प्रकार हरियाणा सरकार को भी यह चाहिए कि इन पोस्ट् को जल्द ही समाप्त कर दें और इन की जगह किसी और अफसर की डयूटी लगा दी जाए, जोकि इन समितियों के काम काज को देखें। यह जो अफसर ाही की झलक हैं, मैं समझता हूं कि उन में और अफसरों से भी ज्यादा आ गई हैं। बजाए इसके कि वे लोग इन समितियों की भलाई के लिए कोई काम करें, डिवैल्पमैंट के लिए कोई काम करें, दूसरे कामों की तरफ ही उनका ध्यान ज्यादा रहता हैं। रंग रलियां मानते हैं। अतः इस और सरकार खास ध्यान दे। बस, इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईदउ करता हू आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अब मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी मेहर चन्द(बड़ोपल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो पंजाब पंचायत समितिज(हरियाणा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1974 यहां पर पे ा हैं, इस पर कुछ ज्यादा बोलने की तो जरूरत नही हैं। महज ऐक ान इस बात पर तो पहले ही ले चुके हैं, अब तो इस पर मोहर टिकवानी ही बाकी हैं और ऐसी कोई बात नही हैं जैसा कि अभी मेरे दोस्तों ने बतलाय कि बी0 डी0 ओज0 की पोस्ट्स को अबोलि ा कर दिया जाए, उस बात पर तो मैं नही आंऊगा, लेकिन एक बात कहे वगैर नहीं रहूगां। मेरे वजीर साहब सुनाते हो, पर बाजदफा उस पर गौर नही करते। मैं तो केवल उनको एक छोटा सा सुझाव दूगां कि कम से कम जो नोट्स अफसरों की तरफ से आएं, तो उन पर केवल 'यस' ही न कर दें।

कम से कम अपना मांइड इस पर जरूर अप्लाई करें। अगर उनकी डिवैल्पमैंट करनी हैं, तो जो ब्लाक समितियों का एरिया हैं this must be co-termnoujs with the Assembly Constituencies. असैम्बली कांस्टीच्यू ऐंसी का जो दायरा हो, वह भी ब्लाक का दायरा बन जाए, ताकि डिवैल्पमैंट के काम अच्छी तरह से हो, एम0 एल0 एज0 भी दिलचस्पी लें, समितियों में चार–पांच एम0 एल0 एज0 मिला रखे हैं और हरेक के दरम्यान कु ितयां होती रहती हैं एक बी0 डी0 ओ0 जाकर कि मेरा काम करो, दूसरा कहता हैं कि मेरा काम कर दो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके साथ–साथ मैं एक और बात कहे बगैर नहीं रह सकता, कि पंचायतो समितियों के पास फण्डज वगैरह नहीं हैं। इसके बिना क्या काम होगा ? कोई काम नही हो रहा हैं, देखने में तो स्टाफ जरूर बिठा रखा हैं ऐक्चुअल काम कोई नहीं हो रहा हैं। क्यों नही हो रहा हैं, क्योंकि फण्डज की कमी हैं और जो स्टाफ हैं, उसका मुबाइल भी नही बनाया गया हैं। जो जीपें दे रखी हैं, वे भी भाायद बाबा के जमाने की मालूम पड़ती हैं। मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार ऐसी जीपों की आक ान क्यों नहीं कर देती ? जो जाते हैं, कहते है कि वे जीपें कोने में खड़ी हुई हैं, जैसे कि 10 साल का पीपा होता हैं। वे बिल्कुल नाकारा पड़ी हुई हैं, लेकिन यह जो चीज हैं, यह हरियाणा की भाान के भाया नहीं हैं। लोग अगर बाहर से हरियाणा को देंखने आते हैं और जब वह ब्लाक्स के दफ्तरों को देखते हैं, तो उस वक्त हमारी सारी बातें गल्त सिद्ध हों जाती हैं।

मेरा तो एक सुझाव हैं। मैं जब क्रिटिसिजम करता हूं तो कोई ऐग्रैसिव तरीके से नही करता हूं। अगर मैं कुछ सुझाव देता हूं तो वह जानता की भलाई के लिए ही देता हूं, उसे क्रिटिसिंजम न समझा जायें। अतः इस बिल को दोबारा स्पोर्ट करना कोई जरूरी नहीं हैं। मैं तो पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं कि It has ot be revalidated.There in no way out of it.

बस, मैं इन अल्फाज के साथ आपका धन्यवाद करता हुआ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, अपना स्थान लेता हूं।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो यह बिल ऐसा कन्ट्रोव र्ल नहीं हैं। जो कुछ किया हैं, उसके बारे में मैंने तो केवल इतना ही कहना हैं कि इसके बगैंर गुजारा भी नहीं था। तो यहां पर जो चीजें होती हैं, उनके अन्दर अच्छाईयां भी होती हैं और बुराईयां भी होती हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत यह कहना चाहता हूं कि समितियों की जो पावर्ज हैं, वह बहुत ही कम होती हैं। अगर एक आदमी को आप ऐसी पावर्ज दें देंगें, तो वह सभी को ओवर करके चलेगा और इसके दिमाग में यह आ जाएगा कि सारे अख्तियरात ही मेरे हैं। इसलिए समितियों और पंचायतों की जो पावर्ज हैं, उनमें कुछ न कुछ इजाफा किया जाए और उन पर ट्रस्ट किया जाए और जब वे गलतियां करें, तो उन को वार्निग दी जाए, उनको समझाया जाए। अगर फिर भी काम ढंग से न चलें, तो उन्हे सजा दी जाए, हटाया जाए। जो पावर्ज हैं वह समितियों के पास

रहनी चाहिएं। मैं ये सब बातें डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं और आ ाा करता हूं कि सरकार जरूर इस तरफ ध्यान देगी और सही कदम उठाएगी। बस मैं इन अल्फाज के साथ इस बिल की ताईद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री गिरि ा चन्द्र जो ी(यमुनानगर): उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बिल आज यहां पर जेरेगौर हैं, यह बिल्कूल साफ हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नये जिले बनने की वजह से ब्लाक्स में तबदीली आई, उनके ऐक ान को रि–वैंलीडेंट करना और उसको रैगूलराईज करना हैं और दूसरा क्लाज 2 की सब–क्लाज 'बी' में दिया गया हैं:

"No suit or other proceedings in respect there of shall be maintained or continued in any court".

कोई भी सूट जो चल रहा हैं, कन्टीन्यू कर रहा हैं, वह नहीं चलेगा। तो इससे क्लीयर कर दिया गया हैं कि वह मामला रोक दिया गया हैं। बाकी संमितियो की जो पावर्ज हैं, जैसा क मेरे दोस्तों ने कहा कि पंचायत समितियों की पावर्ज कम हैं, वह बढ़ा दी जाए, वह तो आलरेड़ी इस बिल में कर ही दिया गया हैं, ताकि किसी कोर्ट में वह चैलेन्ज न हो। उसे रोक दिया गया हैं और जो भी उन्होंने ऐक ान लिया हैं, उसको लागू किया जाये, जैसा कि मैं इस बिल के मुताबिक समझता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरी जो पंचायतो के फण्डज की हैं, जहां तक इसका

सवाल हैं, इसके दो दायरें है, एक तो देहात का हाउस–टैक्स और दूसरा चूल्हा–टैक्स। इन दो तरीकों से आप फण्डज के मेनटेन कर सकते हैं। जहां कहीं भी फण्डज वगैरा न हो, तो जैसा कि अभी मेरे दोस्त चौधरी मेहर चन्द जी ने कहा हैं कि कांस्टीच्यूएंसी के लिहाज से अगर इन्हें बनाया जाए, तो उसमें वहां कि कांस्टीच्यूऐंसी का एम0 एल0 ए0 जो हैं, वह ज्यादा इन मामलो के लिए मुफीद रहेगा, जबकि आजकल के ब्लाक्स ऐसे बने हैं, जहां कि एक–एक, दो–दो एम0 एल0 ए0 उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके नतीजे के तौर पर वहां आपस मैं खीचतान होती हैं। तो इसी वजह से वह ज्यादा ठीक नही बनती । और अगर कांस्टीच्यूऐंसी के हिसाब से यह चीज बनेगी, तो एक एम0 एल0 ए0 के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी फण्डज के सिलसिले में, उसकी डिवैल्पमैंट के सिलसिले में और इलाके की डिवैल्पमैंट के सिलसिले में और समितियों के लोगो को आगे चलाने में आ सकती हैं और वह सर–आन्जम कर सकता हैं। मैं इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं देखता हूं इसलिए मैं इसका पुरजोर ताईद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हू कि आपने मुझे बालने का समय दिया।

श्री गुलाब सिंह जैन(हिसार): आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदया, हाउस के सामने दी पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा वैलीडे ान) बिल, 1974 पे ा हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले साथियों ने कहा कि यह रिवैलीडे ान ऐक्ट हैं, इसमें और

कोई खास बात नही हैं, लेकिन एक अहमियत इस बिल की जरूर हैं, कि यह पंचायत समितिज के बारे में हैं, हमारे दे ा मे जो डेमोक्रेसी हैं, वह पंचायतो समितिज की हैं। मैं भारतवर्श ही क्यों, बल्कि यह कहूगा कि दुनियां में बाटम–लेवल पर डैमोक्रेटिक इंस्टीच्यू ान का यह तजूर्बा हैं और जैसे कि अभी जो ी साहब फरमा रहे थे कि एम0 एल0 ए0 कि जिम्मेदारी बनती हैं। (**इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री निहाल सिंह पदासीन हुए**) तो चेयरमैन साहब, यह जो रिकन्स्टीच्यूटिड पंचायत समितिज हैं, उसके बारे में सरकार ने सुझात रखा हैं और मैं इसकी स्पोर्ट करता हूं, क्योकि पंचायत समिति के रिकन्स्टीच्यू ान को अगर कोर्ट में चैलेंन्ज किया जाए और इन मामलात को उठाया हैं और यह जो अमेंडमैंट हाउस में लाए हैं, मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं।

विकास मंत्री(कर्नल महा सिंह): चेयरमैन साहब, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि यह बिल तो सिर्फ वैलीडे ान के लिए हैं। जो नई समितियों बन रही हैं, उनके नोटिफिके ान वगैरह जारी होने में देर हो गई थी, यह उन सबको वैलीडेट करने के लिए हैं। हमारे माननीय मैंबर साहबान ने जो कुछ भी कहा हैं समितियों के बारे में जो अच्छाईयां या त्रुटियां बताई हैं, उन सब को ध्यान मे रखा जायेगा, और जो त्रुंटियां दूर हो सकती हैं, वे दूर की जायेगी। कई मैंबर साहेबान ने यह जाहिर किया हैं कि समिति ब्लाक जो हैं, वे कांस्टीच्यूऐंसी

के साथ–साथ ही होनी चाहिए लेकिन कई कांस्टीच्यूऐंसीज ऐसी होती हैं, जिनमें म्यूनिसिपल एरिया, अर्बन एरिया आ जाता हैं और कोई कांस्टीच्यूऐंसी ऐसी होती हैं, जिसमें सारे गांव के गांव आ जाते हैं और गांव भी छोटे–छोटे खास तौर पर गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ जिले के ऐसे गांव हैं। चूकि ये समितियां विकास कार्य के लिए और रूरल एरियाज के लिए हैं, इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए इनको क्षेत्र के साथ इस वक्त मिलाया नही जा सकता। माननीय मैंबर साहिबान इससे एग्री होंगे कि सब के साथ ब्लाक बराबर नही हैं। मिसाल के तौर पर गुड़गांव का ही ब्लाक ले लें। उसमें गुड़गाव भाहर ज्यादा आता हैं और गांव बहुत कम रह जाते हैं, इसलिए दूसरे गांव उसमें मिलाने पड़ेगे। इसी तरह से दूसरे भाहर हैं, जैसे रोहतक हैं, करनाल हैं, और हैं, इनके साथ भाहरों का इलाका भामिल नही हैं, केवल देहात के इलाके भामिल हैं। आप देंखेगे कि भिवानी और महेन्द्रगढ़ में ऐसे ब्लाक हैं, जिनमें एक भी म्यूनिसिपैल्टी नहीं हैं, एक भी ब्लाक नही हैं। वहां पर मु कल से पांच हजार की अबादी के गांव होंगे। मो ऐसी सूरत में हम ऐसे पिछड़े हुए इलाकों के अन्दर बहुत बड़े क्षेत्र में एक ब्लाक समिति बनाकर वहां विकास का कार्य नही कर सकते। इसलिए जो कुछ भी सरकार ने इस वक्त किया हैं सरकार देखती हैं। अभी चार ब्लाक बनाये गये हैं। इससे पहले 83 ब्लाक थे, अब 87 हो गए हैं। जब सरकार और ब्लाक बनाना जरूरी समझेगी, तो और भी बनाये जाएगें। बाकी जो बी0 डी0 ओज0 की बाबत बातें कही गई हैं उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि बी0 डी0

ओज0 अच्छे भी हैं और खराब भी हैं हर महकमें में ऐसा होता हैं। सब बी0 डी0 ओज0 को खराब कह देना मेरे ख्याल से ठीक नही हैं। अगर हम अच्छे आदमी को भी बुरा बताने लगेगें तो सर्विसिज डिमोरेलाइज हो जांएगी। एक–दो आदमी अगर खराब हैं, तो उनकी वजह से सारे महक को या सभी बी0 डी0 ओज0 को बदनाम करना अच्छी बात नही हैं। मैं मैंबर साहिबान से अर्ज करूगां कि इस किस्म अगर कोई ि ाकायत हैं, तो उसे सरकार के नोटिस में लाएं सरकार उसकी छानबीन करेगी। अभी कुछ दिनों डिवैंल्पमैंट एडवाइजरी कमेटी की मींटिग थी। एम0 एल0 एज0 तो उनमें पहुच नही पाए थे, लेकिन दूसरे गैर सरकारी मैंबर आए थे। उसमें मैंने अपने कमि ानर और सैक्रैंटरी साहब के साथ यही फैसला किया हैं कि जहां–जहां के बी0 डी0 ओज0 के खिलाफ ि ाकायतें हैं, उन पर एक ान लिया जाए। अब सरकार ने यह भी फैसला किया हैं कि ऐसे अफसरों या मुलाजिमों को 50 साल की उम्र में रिटायर किया जाएगा। हम सक्रीनिंग कर रहे हैं। जो इस किस्म के बुरे काम करने वाले बी0 डी0 ओज0 हैं, उनको रहने नहीं देगें(विघ्न)। (**इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई**) तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बातें मेरे दूसरे साथियों ने कहीं हैं, उनर सब पर गौर किया जाएगा और जो कमियां हैं, उनको पूरा करने की कोि ा ा की जाएगी।

Deputy Speaker: Question is:-

That the Punjab Panchayat Samitsi (Haryana Validation) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is:-

That Title be Title of the Bill.

The motion was carried.

Develomnet Minister: (Col.Maha Singh): Madam, I beg to move:-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is:-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 104 का निलम्बन तथा श्रीमति चन्द्रावती का सदन की सेवा से निलम्बन

Home Minister (Shri K.L. Poswal): Madam, I beg to move:-

That Shrimati Chandravati be sus[pended from the service of the House for the remainder of the Se4ssion for her misconduct by using abusive language, most irresponsible behaviour unbecoming of a Member of this agust House and har grossly disorderly conduct in the House.

उपाध्यक्षा: मेरा विचार में इससे पहले आपका रूल 104 संस्पैंड कराना चाहिए और इसकी मैं आपको इजाजत देती हूं।

Home Minister (Shir K.L. Poswal): Madam, I beg to move:-

That Rule 104 of the Procedure and Conduct of Nusiness in the haryana Legislative Assembly be suspeded in its application to the motion regading the suspension of Shirmati Chandravati

Deputy Speaker:- Motion moved:-

That Rule 104 of the Procedure and Conduct of Nusiness in the haryana Legislative Assembly be suspeded in its application to the motion regading the suspension of Shirmati Chandravati

Deputy Speaker:-Question is:-

That Rule 104 of the Procedure and Conduct of Nusiness in the haryana Legislative Assembly be suspeded in its application to the motion regading the suspension of Shirmati Chandravati

The motion was carried.

Home Minister (Shri K.L.Poswal): Madam, I beg to move:-

That the Shrimati Chandrawati be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for her misconduct by using abusive language, most irresponsible behaviour unbecoming of a member of this august House and her grossly disorderly conduct in the House.

Deputy Speaker:-Motion moved:-

That the Shrimati Chandrawati be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for her misconduct by using abusive language, most irresponsible behaviour unbecoming of a member of this august House and her grossly disorderly conduct in the House.

Deputy Speaker:-Question is:-

That the Shrimati Chandrawati be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for her misconduct by using abusive language, most irresponsible behaviour unbecoming of a member of this august House and her grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

दी हरियाणा म्युनिसिपल कौमन लैंड्ज (रैगुले ान) अमैंडमैंट बिल,1974

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): महोदया, मैं हरियाणा नगर पालिका भाामलात भूमि (विनियमन) सं ाोधन विधयेक, 1974 पुरः स्थापित करता हूं और साथ ही प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा नगर पालिका भाामलत भूमि (विनियमन) सं ाोधन पर तुरन्त विचार किया जाए।

Deputy Speaker:-Motion moved:-

That the Haryana Muncipal Common Lands (Regulation) Amendmet Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker:-Question is:-

That the Haryana Muncipal Common Lands (Regulation) Amendmet Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker:-Question is:-

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker:-Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker:-Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker:-Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं– कि हरियाणा नगरपालिका भाामलात भूमि (सं ाोधन) विधेयक पारित किया जाए।

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Muncipal Common Lands (Regulation) Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is:-

That the Haryana Muncipal Common Lands (Regulation) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (हरियाणा सैंकिंड अमैंडमैंट) बि, 1974

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): महोदया, मैं पंजाब सहकारी सोसायटी(हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक 1974

पुरःस्थापित करता हूं और साथ ही प्रस्ताव करता हूं–

कि पंजाब सहकारी सोसयटी (हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is:-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker: I have received a notice of an amendment to clause 2 by Shri Tikka Jagjit Singh. He may please move his amendment.

Shir jagjit Singh Tikka: Madam, I beg to move:-

That for proposed sub-section (5) of section 26, substitute,

“ (5)(Notwithstanding anything contained in the bye_laws of a society, the State Government may by general of special order, direct that on the committees of such societies of class of Societies as the Government may direct, there shall be co-op ted by memnbers of the committees of such societies one memner belonging to the schdeuled castes or scheduled tribes:

Provided that such co-option shall not be made if any member of the scheduled castes or scheduled tribes has been elected on such committee .

Provided further that in case no such co-option is made, the Registrar may nominate one such member.”

Deputy Speaker: Motion moved:-

“ (5)(Notwithstanding anything contained in the bye_laws of a society, the State Government may by general of special order, direct that on the committees of such societies of class of Societies as the Government may direct, there shall be co-op ted by memnbers of the committees of such societies one memner belonging to the schdeuled castes or scheduled tribes:

Provided that such co-option shall not be made if any member of the scheduled castes or scheduled tribes has been elected on such committee.

Provided further that in case no such co-option is made, the Registrar may nominate one such member.”

Deputy Speaker: Question is:-

“ (5)(Notwithstanding anything contained in the bye_laws of a society, the State Government may by general of special order, direct that on the committees of such societies of class of Societies as the Government may direct, there shall be co-op ted by memnbers of the committees of such societies one memner belonging to the schdeuled castes or scheduled tribes:

Provided that such co-option shall not be made if any member of the scheduled castes or scheduled tribes has been elected on such committee.

Provided further that in case no such co-option is made, the Registrar may nominate one such member.”

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 8

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 9

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 12

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 13 to 16

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 13 to 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब सहकारी सोसायटी (हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, यथा सं ाोधित पारित किया जाए।

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker: Question is :-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker: the House stands adjourned sine-die.

(11.14a.m.)

(The Sabha then adjourned* sine-die).